

तारीखे इस्लाम के चन्द अजीम वाक़ेआत

1. 3 हि. में शहीदों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सय्यदना हमज़ा रज़ि. की शहादत हुई। आप रज़ि. के कातिल को माफ करने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की शहादत का इतना ग़म था कि आप उनके कातिल का चेहरा नहीं देख पाते थे।

2. 11 हि. में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई।

3. 23 हि. में नमाज़े फज़्र पढ़ते हुए अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ि. को शहीद किया गया।

4. 35. हि. में उस्मान रज़ि. की 40 दिन की घेरा बन्दी में 3 दिन बगैर पानी के सिर्फ़ नियत से रोज़ा रखने के बाद शहीद कर दिया गया जिस वक्त कि आप कुरआन की तिलावत कर रहे थे।

5. 40 हि. में सय्यदना अली रज़ि. को नमाज़े फज़्र पढ़ने जाते वक्त इब्ने मुल्जिम अल हिमयारी नामी शख्स ने शहीद किया। आपका कातिल आपके कत्ल को अब्बाह की रज़ा का जरीया समझता था।

6. 61 हि. में सय्यदना हुसैन रज़ि. को कर्बला के मैदान में शहीद किया गया।

DESIGN & PRINTED BY: FUTURE GRAPHICS DELHI M.: 0-9213980444



माहे मुहर्रम और वाक़्या-ए-कर्बला

तारीख

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूनुफ़ हफ़िज़ाहुल्लाह
शेख़ मुनीर कमर हफ़िज़ाहुल्लाह
अब्दुर रऊफ़ नदवी हफ़िज़ाहुल्लाह

क़ज़रे सानी

अब्दुल क़दूस उपरी हफ़िज़ाहुल्लाह
इनामुल हक़ असरी हफ़िज़ाहुल्लाह

<http://alhamdulillah-library.blogspot.in/>

तर्तीब व तर्जुमा

अबू फ़ुरक़ान

माहे मुहर्रम और वाक्या-ए-कर्बला

तालीफ

हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ हफिज़ाहुल्लाह
शैख मुनीर कमर हफिज़ाहुल्लाह
अब्दुर रऊफ नदवी हफिज़ाहुल्लाह

नज़रे सानी

अब्दुल कुदूस उमरी हफिज़ाहुल्लाह
इनामुल हक असरी हफिज़ाहुल्लाह

तर्तीब व तर्जुमा

अबू फुरकान

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित

माहे मुहर्रम और वाक्या-ए-कबला

तालीफ

हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ हाफिजाहुल्लाह

शैख मुनीर कमर हाफिजाहुल्लाह

अब्दुर रऊफ नदवी हाफिजाहुल्लाह

नज़ारे सानी

अब्दुल कुदूस उमरी हाफिजाहुल्लाह

इनामुल हक असरी हाफिजाहुल्लाह

तर्तीब व तर्जुमा

अबू फुरकान

अज़रे मुरत्तिब

अल्लाह के नाम से जो रहमान, रहीम है

अल्लाह तआला के लिए हैं तमाम तारीफें जो सारे आलम का रबब है, दरुद और सलाम हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रहमतें हो आपकी आल व साथियों पर। अम्माबाद।

जो कितबाचा आपके हाथ में है इसमें कुछ सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की गई है। जो की आम तौर से मुसलमानों में मुहर्रम के तअल्लुक से इख्तिलाफ के बाईस बने हुए हैं। जैसे कि :-

- 1) कबला की जगं का मक़सद क्या था ?
- 2) कबला की जगं असल में किन किन के बीच हुई ?
- 3) सय्यदना हुसैन रज़ि. का असली कातिल कौन ?
- 4) सय्यदना हुसैन रज़ि. के साथ शहीद होने वालों के नाम क्या थे ?
- 5) सहाबा किराम रज़ि. ने आपको कूफा जाने से क्यों रोका ?
- 6) मुहर्रम में ताजिये बनाने के बारे में अहमद रज़ा खॉ बरेलवी का मौकफ क्या था ?
- 7) यज़ीद पर लअन तअन करने के बारे में शरई हुक्म क्या है ?
- 8) गज्वा कुस्तुनतुनिया का सिपाहसालार कौन था ?
- 9) अबू अय्यूब अंसारी रज़ि. की वसीयत क्या थी ?
- 10) हुसैन रज़ि के बाप की तरफ से सगे भाई मुहम्मद बिन हनफीया रह. की यज़ीद के मुतअल्लिक राय क्या थी ?
- 11) मुहर्रम के दिन दस्तरख्वान वसी करने के बारे में वारीद हदीसों की हकीकत क्या है ?

और भी बहुत से सवालों के जवाब इन्शाअल्लाहुतआला आपको इस कितबाचे में मिलेंगे, बस गुजारिश यह है कि आप इस कितबाचे को बगैर किसी तअस्सुब के पढ़ें। इस कितबाचे को नीचे लिखी हुई किताबों की मदद से तैयार किया गया है।

1. कुबूलियते अमल के शराईत- मौलाना मुहम्मद कमर मुनीर हाफि. - तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट (अलखौबर), सऊदी अरब .

2. माहे मुहर्रम और मौजूदा मुसलमान- हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ हाफि.- मुफस्सीरे कुरआन, (सऊदी अरब से हाजियों को बटने वाले ऊर्दू कुरआन के)

3. खाना साज़ शरीअत और आईना-ए-किताब व सुन्नत, - अब्दुर रऊफ नदवी हाफि. ,

4. आइना-ए-अय्यामे तारीख (बेसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक्या कबला तक) - फज़िलतुशशैख उस्मान बिन मुहम्मद नासरी आले खमीस हाफि. , सऊदी अरब

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें हक बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे, जिस मक़सद के तहत इस किताब को लिखा गया है, उसे अता फरमाए, इस किताब को कुबूल फरमाए और सभी उन लोगों को इसके अज़ में शामिल करे जिन्होंने इस किताबचे को तैयार करने में किसी भी तरह की मदद की। आमीना अबू फुरकान

शरीअत साज़ी

आज से तक़रीबन चौदह सौ साल पहले 10 हिजरी माह ज़िलहिज्ज की 10 वीं तारीख को नबी - ए - रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़तुल विदा की अदायगी के सिलसिले में मैदाने अरफात में तरशरीफ़ फरमा थे, कि आसमान से अल्लाह तआला ने सूरह मायदा की आयत 3 नाज़िल फरमाई, जिसमें इरशाद फरमाया :-

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, और तुम पर अपनी नेअमत तमाम कर दी है और दीने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है।” (मायदा 3)

इमाम क़ुर्तुबी की “अलजामे लिअहकामिल कुरआन” और इमाम इब्ने कसीर रह. की “तफसीरुल कुरआनिल अज़ीम” में ज़िक्र है, कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 81 दिन तक बहयात रहे, और फिर वफात हो गई। उपर ज़िक्र आयत के इन अल्फाज़ का मफहूम बड़ा वाज़ेह है, कि इसी दिन अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया है। शरीअते इस्लामिया के अहकाम में किसी क्रिस्म की कोई कमी या खामी नहीं रही। उसने इस तरह अपनी रहमत को तमाम कर दिया है और उम्मत मुहम्मदिया के लिए दीने इस्लाम को पसंद फरमाया है। और आज जिस तरह दीने इस्लाम को छोड़ कर किसी दूसरे दीन को इख्तियार करना कुफ़्र व मुरतद होना है। इसी तरह दीने इस्लाम की तालीमात को क़ौलन (ज़बान) या फ़ैलन (अमल) नाक़िस व नामुकम्मल कहना भी कुरआन करीम की इस आयत की सरीह ख़िलाफ़ वरज़ी व नाफरमानी है।

दीन के मुकम्मल होने और नेअमत के तमाम होने का ऐलाने इलाही हो चुकने के बाद अब अगर कोई शख्स किसी ऐसे काम को अपनाता है, और दूसरों को भी उसके अपनाने की तरसीब देता है जो कुरआन व सुन्नत से साबित न हो तो ऐसा शख्स ज़ाहिर है कि “शरीअत साज़” कहलाएगा। और ऐसा काम “ईजादे बन्दा” शुमार होगा। जब अल्लाह तआला दीने इस्लाम को मुकम्मल फरमा चुका है तो आज कोई नई चीज़ दीन में दाख़िल करना न सिर्फ़ मिलावट है बल्कि इससे कहीं बड़ कर इस बदज़नी के इज़हार के बराबर है कि अल्लाह तआला का दीन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि इसमें तो अभी भी फलों फलों का काम हुक़म या अमाल के दाख़िल होने की कमी बाक़ी है। या फिर यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह हमें पूरा दीन नहीं पहुँचाया, और तब्लिगे रिसालत में अल्लाह की पनाह कोताही बरती है।

इमाम शातिबी रह. ने “कितबुल एतिसाम” में इमाम मालिक रह. का क़ौल यून नक़ल किया

है :-

((من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ﷺ خان الدين

لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فمالم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً))

“जिस शख्स ने इस उम्मत में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिस पर इस (उम्मत) के सलफ़ नहीं थे, उसने ये गुमान किया कि (अल्लाह की पनाह) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन (की तब्लिग) में ख़यानत की, क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है “मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है।” पस जो चीज़ उस दिन दीन में नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती।” (अलएतेसाम शातिबी 1/49)

इस तरह ग़ौया उस शख्स ने अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को झुठलाया है, जो जुर्म अज़ीम है।

जुर्म शरीअत साज़ी और दीनी ईजादात के सिलसिले में हमारी यह बात कोई ख़याली पुलाव है न किसी शायर के ख़याल की बुलंद परवाज़ी का नतीजा। बल्कि यह एक अग्र वाक़े है कि ऐसे लोग भी बकसरत मौजूद हैं जिन्हें हम शरीअत साज़ कह रहे हैं। और ऐसे अफ़आल की फेहरिस्त भी ख़ासी लम्बी है जिन्हें ईजादे बन्दा कहा जा सकता है। और शरीअत साज़ी की यह दीनी ईजादात बाज़ हुदूद व क़ैद को छोड़ कर अपनी शक़ल व सूरत और तरीक़े व हयअत के ऐतबार से ऐसी ख़ूबसूरत इस्लामी रंग में पैश की जाती है कि शरई उमूर और इन ईजादात में फ़र्क़ करना मुश्क़िल हो जाता है। हत्ता कि अनपढ़ और पढ़े लिखे मर्द व औरतें भी इस फरेब में बाआसानी फस जाते हैं। क्योंकि उन्हें सुन्नत व सवाब के हवाले से जब उन उमूर के बारे में बताया जाता है तो वो झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि उन्हें खूदसाख़्ता आमाल पर शरई आमाल का धोका हो जाता है। मगर दर हक़ीक़त इन नई ईजादात को इस्लाम, शरीअत, इबादातें मसनूना और आमाले सालेहा से दूर का भी कोई वास्ता नहीं होता। बल्कि वो महज़ ईजादे नौ और सरीह धोका ही होते हैं। जिन्हें आप ज़रा मुहज़ब अन्दाज़ से “हसीन धोका” कह सकते हैं।

और ऐसे अफ़आल को ही शरई व फिक्ही इस्तिलाह में “बिदअत” कहा जाता है। ऐसे उमूर की मज़म्मत बकसरत हदीसों में वारीद हुई है। जैसाकि सहीह बुख़ारी व मुस्लिम और मुसनद एहमद में इरशदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.))

“जिसने हमारे इस दीन में कोई नया अमल ईजाद किया जो दर हक़ीक़त इस दीन मेंसे नहीं तो वो अमल मरदूद है।” (बुख़ारी मअ फतहुल बारी 5/221, मुस्लिम 1718, मुसनद एहमद 6/27)

और मुस्लिम शरीफ के अलफाज़ हैं :-

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.))

“कि जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल इख्तियार किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो वो मरदूद व नामकूबल है।” (मुख्तसर मुस्लिम 1237)

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुल्वा इरशाद फरमाते तो ऐसी दीनी ईजादात की सख्त मजम्मत फरमाया करते थे। और खुलफा ऐ राशिदीन, आम सहाबा किरमा रज़िअल्लाह अन्हुम, ताबेईन, आइम्मा ऐ दीन रह. और उलमाए उम्मत आज तक खुतबाते जुमा और वाज़ व तब्लीग की मजलिसों में इस खुल्वा ए मसनूना को दोहराते आ रहे हैं। जो सहीह मुस्लिम, सुनने अरबा, मुसनद एहमद, बैहकी, दारेमी और मुस्तदरक हाकिम में ज़िक्र है जिसमें इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह अल्फाज़ भी है :-

((وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))

“और बदतरीन अफआल, नई नई ईजादात हैं, और हर ऐसी चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।”

और सुनने नसाई और इब्ने खुज़ैमा के यह अलफाज़ हैं :-

((وكل ضلالة في النار))

“और हर गुमराही का अजांम जहन्नम है।” (मिशकात तहकीक अलबानी 1/51)

जबकि सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने और बिदआत से बचने के बारे में अबूदाऊद और तर्मिज़ी, इब्ने माजा व मुसनद एहमद और सहीह इब्ने हिब्वान व सुनने दारेमी में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((من يعيش منكفئاً كثيراً فليس منكم يستنى سنة الخلفاء الراشدين المهديين))

عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة))

“तुममें से जो शख्स (ता देर) ज़िन्दा रहा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। (ऐसे में) तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफता खुलफा ऐ राशिदीन का तरीका लाज़िम है, उसे दातों से मज़बूती से पकड़े रहो। और खबरदार दीन में पैदा किये जाने वाले नये उमूर से बच कर रहना, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है।” (रियाज़ुस्सालिहीन स.87)

यह अल्फाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाए जिस की मज़र कशी करते हुए इरवाज़ बिन सारिया रज़ि. फरमाते हैं :-

((وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول

الله ﷺ)، كانها موعظة مودع فأوصنا))

“(कि) हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बलीग वाज़ फरमाया कि जिससे हमारे दिल दहल गये और आँखें बरस उठी। हमने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सँ लगता है जैसे ये किसी अलविदा करने वाले का वाज़ हो, आप हमें वसियत फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد))

“मैं तुम्हें तक्रवा इख्तियार करने और अमीर की बात सुनने और इताअत की वसियत करता हूँ चाहे तुम पर कोई गुलाम ही अमीर क्यों न बना दिया जाए।” और आगे फिर ज़िक्र कि हुई वसियत फरमाई जिसमें बिदअत से बचने का हुक्म फरमाया है। हम हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते सुनते भी रहते हैं मगर मालूम नहीं क्या वजह है ? कि हमारे कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती, और नबवी पैमानों को छोड़ कर अपने ही पैमानों से जैसे चाहते हैं, कारे सवाब करार दे कर अपना लेते हैं।

अपने दुनियावी उमूर में तो कोई क़दम उठाने से पहले हम हज़ार बार सोचते हैं। दस रुपये की कोई चीज़ खरीदना चाहें तो सारा बाज़ार छान मारते हैं, और जहाँ से सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले वहाँ से लेते हैं तो क्या हमारा दीन इतना सस्ता और बेदाम सौदा है कि उसके उमूर में हम असली व नकली के बारे में सोचना, कुरआन व सुन्नत की दलील तलब करना या बअलफाज़ दिगर उनकी क्वालिटी का जानना और पूछना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह तआला फिक्रे दीन की तौफ़ीक से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।

नया साल मुबारक

नये इस्लामी साल का आगाज़ होतो अरब व अजम, पूरब व पश्चिम, यूरोप व अमरीका और ऐशिया व अफ्रीका। इस आलमे रंग बू में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हों, उन्हें हकीक़ी मानों में हिजरी साले नौ पर ही खूशी व मुसरत होती है। क्योंकि तारिखे इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी तारीखों और हिजरी तारीख से वाबस्ता है। अरकाने इस्लाम, हज़ व रोज़ा का हिसाब इसी इस्लामी केलेडर से किया जाता है। और ईद व कुरबानी जैसे शआरे इस्लाम का ताल्लुक भी इसी इस्लामी साल के साथ है। मगर यह एक अम्र वाक़े है कि आज मुसलमान अपने माज़ी की शानदार रिवायात को नज़र अंदाज़ करता बल्कि भूलता जा रहा है। और अपने नुमायों इस्लामी इम्तियाज़ को कायम रखने में नकाम हो रहा है। इसकी एक छोटी सी मगर वाज़ेह झलक हमारे इस रवय्ये में मौजूद है कि आज हमारे सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों और निजी व पब्लिक इदारों में इंग्लिश केलेडर का इस्तेमाल इस क़दर आम है कि लोग अपनी असली तारीख से नाआशना हो रहे हैं। आप कभी सर्व कर के देखें तो शायद दस फिसद मुसलमान भी ऐसे न मिलें जिन्हें उस रोज की हिजरी तारीख का पता तो दर किनार हिजरी साल के बारह महीनों के नाम ही आते हों, यह कितना बड़ा अलमिया है, और इस बड़ कर हमारे इज्तिमाई किरदार का अफसोसनाक पहलू यह है, कि इंग्लिश केलेडर के पहले महीने का आगाज़ हो तो हम “हैप्पी न्यूईयर” कहते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। प्रिन्टिंग कार्ड तक्सीम किये जाते हैं। तक्ररीबात का इनएक्राद होता है। अरब के लोग भी की कई दिन तक रट लगाए रखते हैं। और

रासुस्सना के उन्वान से खास इलिंश तर्ज की महफीलें जमती हैं। और उन गैर अखलाकी व गैर इस्लामी महफिलों की तशहीर के लिए बड़े होटलों की तरफ से रोज़ाना के अखबार में फहशी इशितहारात दिए जाते हैं।

लेकिन इस के बरअक्स जब हमारा अपना इस्लामी साल शुरू होता है तो "नया साल मुबारक" या "हैप्पी न्यूईयर" कहना तो क्या, यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे अपना साल शुरू हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा उस दिन की सरकारी छुट्टी तारीख के एक अलमनाक सानेहा व हादसे "शहदते हुसैन रज़ि." की वजह से सिर्फ इतना मालूम हो जाता है कि मोहर्रम शुरू हो गया है।

अगर बिलफर्ज़ इस इज्तिमाई फुकदने शऊर को नज़र अन्दाज़ ही कर दिया जाए तो फिर गौर तलब पहलू यह आता है। कि उम्मत मुस्लिमा को इस क्रिस्म की महफीलें मुनअक्रिद करने, शराब व शबाब से खेलने और ताश व रबाब में मस्त होने का भला क्या हक पहुँचता है? जबकि हमारा किब्ला—ए—अव्वल बैतुलमक़दिस यहूदियों के कब्जे में है। और वो आये दिन मस्जिदे अक़सा के तक्रहुस को पामाल करने और उसे गिराने की साज़िश करते रहते हैं। बड़ी गैर मुस्लिम हुकूमतों की शोबदे बाज़ियों की वजह से मसअला—ए—फिलिस्तीन एक मुश्किल मसअला बन चुका है। और हज़ारों फिलिस्तीनी खानदान खुले आसमान की छत के नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बाज़ की कैम्पों में बसर हो रही है और कुछ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर और हालात के रहम व करम पर नज़रें लगाए बैठे हैं। हमारी यह खूशियां मनाना किस तरह सही हो सकती है? और उन लोगों को सोते दिनों और जागती रातों में यह सगरेलिया मनाना किस तरह ज़ैब देता है जबकि फिलिस्तीन व अफगानिस्तान और ईरान व ईराक वगैरा में लाखों बच्चे बाप के लाड़ व प्यार को तरस रहे हैं। लाखों बैवाएँ सिसकियां और आहों से दो चार हैं।

अगर इस सब कुछ के बावजूद भी हम खूशियां मनाने में हक बजानिब हैं, तो फिर कमअज़ कम उन खूशियों को बदअखलाकी और बेहयायी के दायरे से निकाल कर अपने इस्लामी तर्ज को बहाल रखते हुए ऐन इस्लामी त्योहारों के अंदाज़ में मनाएँ, ताकि रोज़े महशर कहीं मुशाबिहते कुफ़फार के जुर्म में न धर लिए जाएँ।

और फिर इस्लामी नये साल का आगाज़ तो बड़े ही मुहज़ब व मुक़दस अन्दाज़ से होना चाहिए। क्योंकि इस्लामी साल का यह पहला महीना बड़ी फ़ज़ीलत व अज़मत वाला है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहे मुहर्रम की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ करते हुए इसे अल्लाह का महीना करार दिया है। (मुख्तसर सहीह मुस्लिम अलबानी 610, इब्ने माजा 1742, मिश्कात बहतक़ीक़ अलबानी 2039)

और खुद अल्लाह तआला ने इस माह को हुरमत वाला महीना कहा है :-

﴿إِنَّ عَسَةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"कि जिस दिन से अल्लाह तआला ने यह ज़मीन व आसमान बनाए हैं तभी से अल्लाह की किताब में महीनों की कुल तदाद बारह है। और उनमें चार महीनें हुरमत वाले हैं।" (तौबा 36)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय्युन के मुताबिक़ इस्लामी साल का यह पहला महीना मुहर्रम उन्हीं चार हुरमत वाले महीनों में से एक है। जबकि दूसरे तीन महीनें रजब, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज़ हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर 3/394)

इस्लामी नये साल मुहर्रम के चाँद के तुलू होने के साथ कई पैग़ाम लाता है। सबसे से पहले यह कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी उम्र का एक और साल मुकम्मल कर दिया है, या बालफ़ज़ दीगर तुम्हारी कुल उम्र मेंसे एक साल और कम हो गया है। इसलिए हमें खूश होने के साथ फ़िक्र मन्द भी होना चाहिए, कि हमारी उम्र का बैलेंस कम हो रहा है। और नये साल के आगाज़ के मौक़े को ग़नीमत समझते हुए ये दुआएँ मांगना चाहिए। ऐ अल्लाह! इस नये साल को हमारे लिए इन्फ़रादी व इज्तिमाई मुसर्रतों और क़ौमी व मिल्ली खूशियों का पयाम्बर बना दे। ऐ अल्लाह! हमारे उलझे हुए पैचीदा मुल्की व आलमी मसाईल को सुलझा दे। ऐ अल्लाह! हमें सेहत व आफियत और जानी व माली खूशी अता फरमा, ऐ अल्लाह! इस नये साल में हमें पिछले साल की निस्बत कारे खैर और नेकी व तक्रवा की ज़्यादा तौफीक़ से नवाज़। ऐ अल्लाह! हमारे जो भाई बहन दुनिया में कहीं भी परेशान व मुसिबत में हैं उनको परेशानी व मुसिबत से निकाल उन्हें अमन अता फरमा और तौहीद व इत्तेबा ए सुन्नत की दअवत देने वालों के लिए आसानी कर। लोगों को खालिस दीने इस्लाम का पाबंद बना। आमीन।

नये साल के आगाज़ पर नफ्स का हिसाब और रोज़े

इस्लामी नये साल के आगाज़ पर ज़िक़े इलाही की कसरत और दुआओं के साथ साथ हर शख्स को चाहिए कि अपनी हिम्मत व फ़िक्र के मुताबिक़ अपने पिछले साल का भर पूर जाईज़ा ले कि उसने अरकाने इस्लाम और अल्लाह व रसूल के अहकाम में कहीं कहीं कोताही की है, और किन किन नेक कामों में हिस्सा लिया है। इस तरह अपने गुज़रे हुए वक्त के आईने में झाँक कर आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनाए। और नया अहद करे कि आज से ही पिछली तमाम कोताहियों का एक बाद दीगर खात्मा करता जाऊँगा, और आमाले खैर में सबसे पहले हिस्सा लूँगा।

अल्लाह वाले तो हर रात को सोने से पहले अपने नफ्स का हिसाब करते हैं, कि आज हमने क्या खोया और क्या पाया। और आम दुनियादारी उसूल भी है कि हर ताजिर और कारोबारी आदमी अपनी आमदानी व खर्च और प्राफ़िट के रोज़ाना व माहाना हिसाब के साथ साथ सालाना हिसाब करके कलोज़अप करता है। इस माली हिसाब व किताब की तरह ही हमें अपने नफ्स का हिसाब भी करना चाहिए, कि उसने नेकिया करके क्या कमाया। और बुराईयों

में पड़ कर क्या गवाया है ? और जिस तरह तिजारती व माली ऊमूर में हर नये साल का बजट तैयार किया जाता है। उसी तरह ही नये साल के आगाज़ पर हमें अपना रुहानी व अमली बजट तैयार करना चाहिए। और माहे मुहर्रम के साथ ही हम चूँकि अपनी उम्रे अज़ीज़ के नये साल का आगाज़ करते हैं, लिहाज़ा हमें उस नये साल का पुर जोश और भरपूर इस्तक़बाल करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नये साल की इफ़्तताह रोज़े रख कर किया जाए जो शुक्राने ने अमत् भी होंगे, और मसनून तरीका भी यही है।

और खास तौर पर माहे मुहर्रम के रोज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया:-

((أى الصيام أفضل بعد رمضان؟))

“रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद अफ़ज़ल रोज़े कौन से हैं ?” तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((شهر الله الذى تدعونه المحرم.))

“अल्लाह के उस महीने के रोज़े जिसे तुम मुहर्रम कहते हो।” (सहीह मुस्लिम मअ नौव्वी 4/8/55, सहीह अबी दाऊद 2122, सहीह तिर्मज़ी 360, सहीह निसाई 522, इब्ने माजा 1742)

अगर ज़्यादा न हो सकें तो कमअज़ कम मुहर्रम के दिनों के सरताज़ दिन “आशूरा” का रोज़ा तो ज़रूर ही रखना चाहिए। क्योंकि उसकी फ़ज़ीलत के बारे में इरशादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((احتسب عند الله أن يكفر السنة))

“मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आशूरा के दिन का रोज़ा एक साल के गुनाहों का कफ़फ़ारा होगा।” (मुस्लिम मअ नौव्वी 4/8/49, 50, सहीह तिर्मज़ी 600, इब्ने माजा 1738) नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का आशूरे का रोज़ा रखते देखा तो पूछा:-

((ما هذا اليوم الذى تصومونه؟))

“तुम लोग इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो ?” तो उन्होंने बताया कि यही वो मुबारक दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने मूसा अलै. और उनकी क़ौम को उनके दुश्मन (फिरऔन और उनके लश्कर) से निजात दिलाई थी, इस पर बतौर शुक्राना मूसा अलै. ने रोज़ा रखा था। लिहाज़ा हम भी रोज़ा रखते हैं। तो नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((أنا أحق بموسى.))

“मूसा अलै. पर (बहैसियत नबी) मेरा हक़ तुमसे ज़्यादा है।” (मिशकात तहकीक़ अलबानी 2067, इब्ने माजा 1734, अबूदाऊद 2444, बुखारी 2004, मुस्लिम मय नौव्वी 4/8/9, सहीह अबी दाऊद 2125)

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का

हुक्म फरमाया। लेकिन यहूदियों के रोज़े की मुशाबहत दूर करने के लिए आसूरा के रोज़े से एक दिन पहले या एक दिन बाद भी एक रोज़ा रखना मसनून है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है :-

((لئن بقيت الى قابل لأصومن اليوم التاسع.))

“अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं नौ मुहर्रम का रोज़ा भी ज़रूर रखूंगा।” (सहीह मुस्लिम 1/798, मिशकात तहकीक़ अलबानी 2041, सहीह अबी दाऊद 2136)

मुस्लिम शरीफ में “لئن عشت” की बजाए “لئن بقيت” के अलफ़ाज़ हैं। और मफहूम दोनों का एक ही है अलबत्ता मुस्लिम शरीफ वाली हदीस में ही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. का इरशादे गिरामी है :-

((فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ))

“मगर अगले साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गये।” (सहीह मुस्लिम मअ नौव्वी 8/12, अबू दाऊद 2445)

बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश फरमाई थी, लिहाज़ा ये अम्र मसनून है। जबकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. का क़ौल है :-

((صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود.))

“नौ और दस (मुहर्रम) का रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफ़त करो।” (मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक़ 7839, अलबैहक़ी 4/287)

इन हदीसों का मजमूई फायदा यह है कि दस मुहर्रम के साथ नौ मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है, और सिर्फ़ दस मुहर्रम के रोज़े का सवाब एक साल के गुनाहों का कफ़फ़ारा है। यहाँ दो बातें निहायत क़ाबिले तव्वज़ा हैं।

पहली यह कि अल्लाह तआला ने सूरह तौबा की आयत 36 में फरमाया है कि “जब से उसने ज़मीन व आसमान बनाए हैं। तभी से उसकी किताब में महीनों की कुल तदाद बारह है। और उनमें से चार महीने हुसमत वाले हैं।” और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय्युन के मुताबिक़ मुतफ़का तौर पर मुहर्रम भी उन चार महीनों में से एक है। और सहीह बुखारी व मुस्लिम की हदीस में ज़िक़्र है कि अशूरा के दिन को अल्लाह तआला ने मूसा अलै. और आपकी क़ौम को उस वक्त के ज़ालिम हुक्मरां फिरऔन और उसके लश्कर से निजात दिलाई थी, जिसके शुक्राने के तौर पर उन्होंने रोज़ा रखा था।

इससे मालूम हुआ कि माहे मुहर्रम या आशूरा नवासा ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ि. की शहादत से वजूद में नहीं आए। बल्कि माहे मुहर्रम कायनात के बनने के दिन से और आशूरा का दिन मूसा अलै. के ज़माने से ही हुसमत वाले और मारुफ़ हैं।

दूसरी क़ाबिले तव्वज़ा बात यह है कि आशूरा के दिन को मूसा अलै. ने रोज़ा रखा, यहूद रखते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को न सिर्फ़ बरकरार रखा। बल्कि खूद

भी उस दिन का रोज़ा रख कर उसे मसनून होने का दरजा दिया। और अपनी उम्मत को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया है।

अब अगर उसी दिन रोज़ा रखने के बजाए सबीले लगाई जाएँ, दूध, शरबत, ठन्डा पानी खूद भी खुले आम पिया जाए। और लोगों को उसकी तरगीब दिलाते हुए मुफ्त पिलाया जाए, तो इस अमल की कौनसी अक्ली दलील या हिले बहाने हो सकते हैं, क्या ये सहीह बुखारी व मुस्लिम में अशूरा के रोज़े की साबित शुदा सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह नाफरमानी और खुली खिलाफवर्जी नहीं?

यादगारे हिजरते नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) या मग्गिब की

नक्ल

योमे बअसत और खुसूसन सूरह शोअरा की आयत

﴿وَأَنْزِلُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएँ।” (शोअरा 214)

और सूरह हिज्र की आयत

﴿فَاصْذَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

“पस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशिरकों से मुहँ फेर लीजिए।” (हिज्र 94) से लेकर नबी—ए—अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद व रिसालत की दअवत जारी रखी, और जब ज़माना—ए—नबूत्वत के तेरह साल मुकम्मल हो गये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को खैरबाद कहा। और मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई।

हिजरते नबवी और मुतआल्लिका मसाईल, राहे हिजरत में पैश आने वाले मोजिज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुबा में रुकना, तामीरे मस्जिदे कुबा, इस्लामी भाईचारा अन्सार व मुहाजिरिन सहाबा में भाईचारे के रिश्ता का कयाम, गैर मुस्लिम क्रोमों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदे और दिफाई मुकाबले के लिए फुनूने हरब की तालीम, और हिजर केलेन्डर की तारीख वगैरा ऊमूर की क़दरे तफसील की ज़रूरत नहीं।

अलबत्ता एक जनवरी को चुर्कि इस्वी नये साल का आगाज़ होता है। इस मुनासबत से हम सिर्फ़ इतनी सी बात ब्यान किए देते हैं कि यह इस्वी केलेन्डर का नया साल है। न कि इस्लामी या हिजरी केलेन्डर का, इसलिए जनवरी के आगाज़ में मुसलमानों का ग्रिन्टिंग कार्ड तकसीम करना, एक दूसरे को हैप्पी न्यूईयर या नया साल मुबारक कहना और जनवरी के आगाज़ में रंग रंग प्रोग्राम तरतीब देना, अपनी इस्लामी शख्सियत को मजरुह करने के बराबर है, और सरासर मग्गिब की तहज़ीब की नक्ल करना है। और दानिस्ता या नादानिस्ता इन उमूर पर अमल पैरा होना, इस बात की खुली दलील है कि मुस्लिम मुआशारे के ऐसे अफराद जिनमें इस्लामी शुऊर का फुक्रदान हो चुका है। उन्हें अपने या पराये का फर्क याद नहीं रहा।

यह किस क़दर अफसोसनाक बात है कि एक जनवरी से कई हफ्ते पहले अखबारत व मैग्जीनों में बेहया तस्वीरों से भरे हुए इश्तिहारात शाय होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें रुपये पैशे के गुलाम और दौलत के परस्तार, लचर व घटिया और अख्लाक से गिरे हुए व हया सोज़

म्यूजिक व डांस प्रोग्रामों का बाकायदा प्रचार किया जाता है।

हमारा तारीखी असासा क्या है ? इस्लामिक कलचर या हमारी तहज़ीब व सकाफत (अक्लमन्दी) क्या है ? उन्हें कुछ भी याद नहीं। मस्जिद परस्तों की नक़्काली में हम लोग इस तरह बेधड़क चले जा रहे हैं कि जिन लोगों को इस्लामी तहज़ीब के अलमबरदार मुस्लिम सकाफत के दावेदार होने का गुमान है। उनमें भी बाज़ ऐसे हज़रात हैं कि रौशन ख्याली के गुमान में फिरंगी तहज़ीब की रौ में बहते हुए उसे न सिर्फ अपनाए जा रहे हैं, बल्कि उसके जवाज़ में दलाईल पैदा करने की नाकाम कोशिश भी किए जाते हैं।

वह कौन कौन से ऊमूर या अफआल (काम) हैं जो दरअसल तो गैरमुस्लिम तहज़ीब की बातें हैं, मगर मुसलमान भी उन पर परवाना वार अमल पैरा हुए जा रहे हैं। उन ऊमूर की फेहरिस्त बहुत लम्बी है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना है कि हमारी इस्लामी साल और हिजरी केलेन्डर एक जनवरी से नहीं, बल्कि एक मुहर्रम से शुरू होता है। हमें अपनी सोच और अमल सहीह करना चाहिए और अगर ज़रूरी ही ग्रीनिंग तक्सीम करने हैं, हैप्पी न्यूईयर या नये साल की मुबारक बाद कहना है, तो यह काम एक जनवरी के बजाए एक मुहर्रम से शुरू करना चाहिए। और तमाम इस्लामी मुल्कों में हुक्मती सतह से ले कर निजी कारोबारी इदारों तक को चाहिए कि वह हिजरी केलेन्डर को रिवाज दें। हत्ता कि गैर मुस्लिम मुल्कों में करोबार करने वाली मुस्लिम तिजारती कम्पनियों और फार्मों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी इस्लामिक आइडेन्टी का परचिय कराने के लिए इस्लामिक केलेन्डर छापें। और वही अपने दफ्तरों में इस्तेमाल करें। क्योंकि ये भी हमारी इस्लामी पहचान को जिन्दा रखने और उसकी इशाअत का एक मुअस्सिर ज़रीया है। और इससे एक बड़ा फयादा ये भी होगा कि बेहययी को काफी हद तक लगाम दी जा सकेगी। क्योंकि बाज़ प्रायवेट इदारों के केलेन्डरों में इतने बेहययाई और गन्दे फोटो होते हैं कि जिन्हें देखते हुए शर्म आती है।

मक़ामे सहाबियत व शाने सहाबा रज़ि.

और सबो—शितम पर वर्दे शदीद

जिस हिजरात ने तारीखे इस्लाम का धारा मोड़ कर रख दिया। उस मौक़े पर सहाबा किराम रज़ि. ने क्या क्या कुरबानियां दीं ? उनकी तफ़सीलात बड़ी ही ईमान अफ़रोज़ हैं। मगर किस किस का क्या क्या वाक़्या ज़िक्र करें ? उन इन्सानो फरिश्तों ने जब "लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" पढ़ा, फिर अपनी दौलत व जायदाद और रिश्तेदार व औलाद तो क्या, अपनी जानें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों पर निछावर कर दिए, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते थे। वह अपनी इन्ही कुरबानियों, यादे इलाही में शब बेदारियों और इतेबा व मुहब्बते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही बुलन्द दरजात पर फाईज़ हुए।

हम मजमूई तौर पर "मुक़ामे सहाबियत और शाने सहाबा रज़ि." के बारे में कुछ आयात और हदीसों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैश कर रहे हैं। चुनान्चे हर वह शख्स जिसने ईमान की हालत में नबी—ए—अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और ईमान पर ही उसका खात्मा भी हुआ। ऐसे खुशनसीब इन्सान को "सहाबी" कहा जाता है। यह शर्फ सहाबियत इतना बुलन्द मुक़ाम है कि कुरआन व सुन्नत में इसकी बहुत ही फज़ीलत ब्यान हुई है। इरशादे इलाही है :—

﴿وَالشّٰقِیُّنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهِجْرِیْنَ وَلَا نَصْرَ لِلَّذِیْنَ التَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ

رَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِیْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ☆

"मुहाजरीन व अन्सार (सहाबा रज़ि.) में से सबसे पहले (इस्लाम की तरफ) सबक़त करने वाले, और वो लोग जो खुलूस के साथ उनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह तआल उनसे राज़ी हो गया, और वह अल्लाह से राज़ी होगये, और (अल्लाह तआला ने) उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और वो उनमें हमेशा रहेंगे। और यह एक अज़ीम कामयाबी है।" (सूरह तौबा 100)

और सूरह फतह का बड़ा हिस्सा सहाबा किराम रज़ि. के बारे में है, पहली और दूसरी आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशादे इलाही है :—

﴿اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ☆ لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُمْ بِرِعْمَتِهِ عَلَیْكَ

وَيَهْدِيْكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا ☆

“हमने आप को फतह मुबीन अता फरमाई, ताकि अल्लाह (तआला) आपके पहले और पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दे। और आप पर अपनी नेअमत को मकम्मल कर दे और सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत से नवाज़े।” (फतह)

सहीह बुखारी व मुस्लिम में क़तादा रज़ि. से और मुसनद एहमद में अनस रज़ि. से मरवी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत का नज़ूल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया “आज रात मुझ पर वह आयत नाज़िल हुई है, जो मेरे लिए रुप ज़मीन की तमाम दौलत से भी ज़्यादा महबूब व अज़ीज़ है।”

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ‘उपर ज़िक्र आयत सुनाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मुबारकबादिया दीं। और साथ ही पूछा कि यह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह तआला ने सूरह फतह की आयत 5 नाज़िल करके फरमाया:—

﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾

وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَرَزًا عَظِيمًا ☆

“ताकि अल्लाह तआला मोमिन मर्दों औरतों को ऐसी जन्नत में दाखिल करे, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वह हमेशा रहेंगे। और उनके गुनाहों को खत्म करे और यह अल्लाह तआला के यहाँ अज़ीम कामयाबी है।” (फतह) (बुखारी मअ फतेहुल बारी 4172) 7/516, मुस्लिम 6/12/143)

और जब ज़ीक़ाद 6 हिजरी में मुक़ाम हुदैबिया पर ये ख़बर मशहूर हो गई कि कुरैशे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद उसमान रज़ि. को शहीद कर दिया है, तो उनके खून का बदला लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आने वाले चौदह सौ (1400) सहाबा रज़ि. से बैअत ली। इस बैअत में शिरकत करने वाले सहाबा रज़ि. के बारे में अल्लाह तआला ने सूरह फतह की आयत 18 में फरमाया:—

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

“अल्लाह तआला उन ईमान वाले (सहाबा रज़ि.) से राज़ी हो गया जो (बबूल के) दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत कर रहे थे।” (फतह)

और उसी बैअत रिज़वान में शिरकत करने वाले सहाबा रज़ि. के बारे में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है:—

((لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة))

“उन सहाबा (रज़ि.) में से कोई एक शख्स भी नार जहन्नम में (हरगिज़) दाखिल न होगा, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैअत की थी।” (फतह रब्बानी 21/108, मुस्लिम मअ नौव्वी 8/16/58, अबी दाऊद 3889, सहीह तिर्मज़ी 3033,)

और सूरह फतह की आखरी आयत में सहाबा किराम रज़ि. के बारे में इरशादे रब्बानी है:—

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِيَسِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ : وَ

مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ

بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ☆

“अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सहाबा (रज़ि.) कुफ़ार के लिए सख्त और आपस में बड़े नर्म व मेहरबान हैं। आप उन्हें रकू व सज्दे की हालत में देखते हैं, जिसके ज़रीये वो अल्लाह का फज़ल और रिज़ा चाहते हैं। (सज्दों की) निशानियां उनके चेहरों पर हैं। उनके ये औसाफ़ तौरात व इंजील में ज़िक्र हैं। उनकी मिसाल उस खेती की तरह है। जिसने पहले अगूंरी निकाली, फिर मज़बूत हुई और अपनी बालियों पर सीधी खड़ी हो गई जो किसानों को तो भली लगती है मगर कुफ़ार उसकी वजह से जलते हैं, अल्लाह तआला ने ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के साथ मफ़िरत और अज़्रे अज़ीम का वायदा कर रखा है।” (फतह)

अगर सिर्फ इन्हीं आयत पर गौर किया जाए तो ये बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि इतने बुलंद मर्तबा के खूशनसीब औलियाउल्लाह सहाबा—ए—रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरज़ व दुश्मनी रखना, उन्हें बुरा भला कहना और लअन तअन करना, कम अज़ कम मुसलमान से तो नहीं हो सकता, जब कि हदीसे कुदसी में इरशादे इलाही है:—

((من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب))

“जिस शख्स ने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उस के लिए मेरी तरफ से ऐलाने जंग है।” (बुखारी 6502)

और सहाबा किराम रज़ि. से बड़ा वली कौन हो सकता है?

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:—

((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهاباً ما بلغ مد أحدهم

ولا نصيفه))

“मेरे सहाबा (रज़ि.) को गालियां मत दो, मुझे क्रसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। तुममें से अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तो सहाबा (रज़ि.) के एक मुड्डी दाने सदके करने बल्कि उससे आधे सवाब को भी नहीं पहुँच सकता।” (बुखारी 3673 फज़ाईले सहाबा 7/25, मुस्लिम मअ नौव्वी 8/16/96 सहीह तिर्मज़ी 3034, सहीह अबी दाऊद 3893)

और तिबरानी में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((من سب أصحابي، فعليه لعنة الله و الملكة و الناس أجمعين))

“जिस (शख्स) ने मेरे सहाबा (रज़ि.) को गालियां दीं, उस पर अल्लाह, फरिश्ते और तमाम लोगों की लानत हो।” (सहीहअल जामेउरसगीर 1685)

एक और हदीस में है :-

((من سب أصحابي فقد سبني و من سبني فقد سب الله))

“जिसने मेरे सहाबा (रज़ि.) को गालियों दीं। उसने मुझे गालियां दीं। और जिसने मुझे गालियां दीं। उसने अल्लाह तआला को गालियां दीं। (कमा फी ततहीरुमुजतमआत स. 274) उपर जिक्र आयते कुरआनी और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसे नज़र एहले इल्म ने सहाबा किराम को गाली देना और लानत तअन करना कुर्फ़ करार दिया है।

शेखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रह. ने “अस्सारिमुल मसलूल” में नक्कल किया है कि “फुक्हा ऐ कुफा ने सहाबा (रज़ि.) को गाली देने वाले को कत्ल करने और राफज़ि को काफिर करार देने का कतई फतवा दिया है। मुहम्मद बिन यूसुफ़ फरयाबी से अबूवकर रज़ि. को आली देने वाले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया : वो काफिर है, उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा जाएगा। काज़ी अबू यअला ने कहा है : फुक्हा के नज़दीक जो शख्स हलाल समझ कर सहाबा को गाली दे वो काफिर है। और जो हलाल तो न समझे मगर गाली दे, वो फासिक है, और अपना फौसला देते हुए इमाम इब्ने तैमिया रह. लिखते हैं : जो शख्स अली रज़ि. को अल्लाह या नबी समझे और ये यकीन रखे कि जिब्राईल अलै. ग़लती से वही व रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे गये थे। और सहाबा को गाली दे वो काफिर है। और उसे काफिर कहने में नरमी दिखाने वाला भी काफिर है। और जो शख्स कुरआन करीम को नाक़िस करार दे, या बातनी ताविलात का गुमान रखे, जैसाकि करामतिया, बातनिया और तनासुखिया का ख्याल है, तो वो भी काफिर है, जो शख्स सहाबा पर कज़ूसी, बुज़दिली, कमइल्मी और अदमेज़ुहाद का इलज़ाम लगाए, वो काफिर तो करार नहीं दिया जाएगा, मगर वो सज़ावार है। मुतलक़ तअन करने वालों में से जो शख्स ये अक़ीदा रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दस पंद्रह सहाबा के सिवा बाक़ी सब मुरतद या फासिक हो गये तो वो काफिर है, और उनके कुर्फ़ में शक करने वाला भी काफिर है। अलगज़ गाली देने वालों में से कुछ साफ़ काफिर हैं और बअज़ के कुर्फ़ में तरदुद किया गया है। और बअज़ पर कुर्फ़ का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। (ततहीरुलमुजतमआत स. 274, 275)

मुकामे सहाबा रज़ि.

और सहाबा किराम रज़ि. के लिए क्या यही शरफ़ कम है कि उन्होंने हालते ईमान व इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देखने की सआदत हासिल की ? वह चेहरा ए अनवर, रुखे जैबा कि जिसका ईमान की हालत में देख लेना आखिरत में कामयाबी और जहन्नम से नजात का ज़ामिन है। बल्कि उस चेहरा ए मुबारक की ज़ियारत का असर यहाँ

तक है कि जो शख्स किसी सहाबी का चेहरा देख ले (जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा-ए-अनवर बहालते ईमान देख लिया हो) उसकी भी आग से नजात होगई। जैसा कि इरशादे नबवी है :- ((لا تمس النار مساماً رأى أورأى من رآنى))

“उस मुसलमान को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा, या उसे देखा जिसने मुझ देखा।” (तिर्मज़ी 807 ये हदीस ज़ईफ़ हैं)

इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

“लोगों पर वह ज़मान भी आएगा। जब मुसलमानों की एक जमाअत (किसी क़ौम पर) हमला करेगी। वह कहेंगे क्या तुममें कोई ऐसा शख्स भी है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो ? वह कहेंगे हाँ, तो उन्हें सिर्फ़ इतनी सी बात पर फतह हो जाएगी, फिर वो दौर आएगा कि गाज़ी जमाअत से पूछा जाएगा। क्या तुममें कोई ऐसा शख्स भी है जिसने किसी सहाबी ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ? वह कहेंगे हाँ तो उन्हें भी फतह हासिल हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि गाज़ियों से पूछा जाएगा कि तुममें कोई ऐसा शख्स भी है जिसने किसी ताबई (जिसने किसी सहाबी को) को देखा हो ? जब वह कहेंगे हाँ ! तो उन्हें भी फतह मिल जाएगी।” (सहीह बुखारी 3649, मुस्लिम मअ नौव्वी 8/16/83, 84, सहीह अलजामे 8005) और मुस्लिम शरीफ़ में तो यहाँ तक है कि :- “चौथी जमाअत से पूछा जाएगा क्या तुममें कोई ऐसा शख्स भी है जिसने तबा ताबईन (जिन्होंने ताबईन को देखा हो) में से किसी को देखा हो ? तो उस जमाअत में ऐसा आदमी मिल जाएगा, और उन्हें उसी आदमी की वजह से फतह हासिल होगी।” (मुस्लिम मअ नौव्वी 8/16/84)

सहाबा किराम रज़ि. के बारे में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((خير أمتي فرأى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))

“मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग (यानी सहाबा किराम रज़ि.) हैं फिर वह लोग जो उनके बाद वाले (यानी ताबईन) हैं। फिर वह लोग जो उनके बाद वाले (यानी तबा ताबईन) हैं।” (बुखारी 3650, मुस्लिम मअ नौव्वी 8/16/84 ता 88, सहीह अबी दाऊद 3892, सहीह नसाई 3567)

नसाई व मुसनद एहमद और मुस्तदरक हाकिम में इसी मफहूम की एक हदीस है जिस के इब्तिदाई कलमात में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب))

“मेरे सहाबा (रज़ि.) का एहताराम करो, क्योंकि वह तुम सबसे बेहतर लोग हैं। फिर वह लोग जो उनके बाद वाले (ताबईन) हैं। और फिर वह लोग जो उनके बाद वाले (तबअ ताबईन) हैं। उनके बाद झूठ आम हो जाएगा।” (मुसनद एहमद 1/26, सहीह तिर्मिज़ी 1758, इब्ने माज़ा 2363)

मक़ाम व मर्तबा ए शहादत

इस्लामी नया साल अपने साथ जो यादें लाता है। उन्हीं में से तारीखे इस्लाम का एक इन्तिहाई दर्दनाक वाक्या शहादते हुसैन रज़ि. भी है। इसी मुनासिबत से बेहतर मालूम होता है कि इस्लाम में शहादत के मक़ाम व मर्तबा की वज़ाहज कुरआन व सुन्नत की रोशनी में कर दी जाए। चुनान्वे कुरआन करीम के एक दो नहीं बक्सरत मक़ामात पर जिहादफी सबीलिल्लाह की फज़ीलत व अज़मत और मक़ाम व मर्तबा ए शहादत की बुलंदी व मज़िलत बयान हुई है, आप तर्जुमा कुरआन पाक उठाएँ और ज़्यादा नहीं तो कमअज़ कम सूरह बकर: की आयत 154, 190, 218, सूरह आले इमरान की आयत 157, 169 ता 177, सूरह निसा की आयत 74 ता 95, अनफाल की आयत 74 सूरह तौबा की आयत 20, 41, 111 और सूरह हज़्र की आयत 58 की तिलावत करें और उनका तर्जुमा देखें।

कहीं फरमाया है "फ़ीसबीलिल्लाह शहादत पाने वालों को मुरदा न कहो, बल्कि वह जिन्दा हैं मगर तुम्हें उस जिन्दगी का शऊर नहीं, कहीं उन्हें रहमते इलाही के उम्मीद वार फरमाया। और कहीं रहमत व बख़्शिश को उनका मुक़द्दर बताया है, और कहीं फरमाया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़ाक दिया जाता है, वह अल्लाह के फज़ल व एहसान और नेअमत व करम पर खूश होंगे। उन्हें कोई ग़म या ख़ोफ नहीं होगा। उनके लिए अज़े अज़ीम और बुलंद दरजात हैं। उन्हें हमेशा के लिए रिज़ाए इलाही और दाईमी जन्नत की नेअमतें हासिल होंगी। इन कुरआनी आयात के अलावा बेशुमार हदीसों में भी जिहाद व मुजाहिदीन और शहादत व शहीद की फज़ीलत बयान की गई है।

अबू ज़र्र गफफ़ारी रज़ि. ने पूछा :-

((يا رسول الله أى العمل أفضل ؟))

'ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सब से अफज़ल अमल कौनसा है?' तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

((الايمان بالله و الجهاد في سبيله))

"अल्लाह पर बग़ैर शक व शुब्ह के ईमान लाना, और उसकी राह में जिहाद करना।" (बुखारी 2518, मुस्लिम मअ नौव्वी 1/2/73)

अबू हुसैना रज़ि. से मरवी है :-

((ان في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله))

"जन्नत में एक सौ बुलंद दरजात ऐसे हैं जो अल्लाह तआला ने फ़ीसबीलिल्लाह जिहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखे हैं।" (बुखारी मअ अलफतह 2790/6/14)

अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि. से मरवी इरशादे रिसालते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((يغفر الله الشهيد كل شيء الدين))

"अल्लाह तआल क़र्ज़ के सिवा शहीद के तमाम गुनाह माफ कर देता है।" (मुस्लिम नौव्वी 7/13/30)

ग़ज़्वा बदर के दौरान शहादत पाने वाले एक सहाबी हारिसा बिन सुराका रज़ि. के वालिद ने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा बेटा हारिसा ग़ज़्वा बदर में शहीद हुआ था। उसका अज़ांम क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खूशखबरी देते हुऐ फरमाया

((ان ابنك أصاب الفردوس))

"तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस के आला मुक़ाम को पा गया है।" (बुखारी मअ अलफतह 3982/7/355, बुखारी 2809/6/31)

एक लम्बी हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "मुझे दो आदमी अपने

साथ ले कर उपर चढ़ गये और एक ऐसे घर में दाखिल कर दिया कि "لم أرقط أحسن منها"

मैंने उससे बड़ कर खूबसूरत कोई घर कभी देखा ही नहीं।" और उन्होंने मुझे बताया कि

((أما هذه الدار فدار الشهداء))

"ये घर शहीदों के लिए तैयार किया गया है।" (बुखारी 2791/6/14)

शहीदों को अल्लाह तआला जन्नत में बुलंद मुक़ाम और कुबे ख़ास से नवाज़ेगा, और पूछेगा: क्या तुम्हें किसी और नेअमत की तमन्ना है? वह कहेंगे कि "ऐ अल्लाह हमें जो नेअमतें मिली हैं, उनसे बड़ कर और क्या तलब करें? हाँ अगर मुम्मकिन हो तो हमें फिर दुनिया में भेज दे, ताकि हम दोबारा तेरी राह में शहीद हों।" (बुखारी 2817/6/39, मुस्लिम मअ नौव्वी 7/13/24)

शहीदों के सिवा ऐसी तमन्ना कोई दूसरा नहीं करेगा। और हदीस में है कि उनकी यह तमन्ना सिर्फ इस वजह से होगी कि उन्होंने शहादत के वक्त मिठास और अल्लाह तआला के यहाँ

जो इकराम व शरफ पाया होगा उसी के पेशे नज़र वह दोबारा शहादत की ख्वाहिश करेंगे।

इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((مامن مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح))

((ريح المسك))

"जिहाद फ़ीसबीलिल्लाह में ज़ख्मी होने वाला क़यामत के दिन इस तरह उठाया जाएगा कि उसके ज़ख्मों से एक ऐसा रंगीन माद्दा बह रहा होगा जिसका रंग खून का और खूशबू कस्तूरी की होगी।" (बुखारी 2803/6/24, मुस्लिम मअ नौव्वी 7/13/20, 21)

यह तो शहीद का मक़ाम व मर्तबा है जब कि मौत शहीद की हो या आम मौत। मौत बहरहाल मौत ही है। जो अज़ीज़ व अकारिब के लिए सदमा और दुख का बाइस बनती है। और कौन नहीं जानता कि यह ज़िंदगी खूशी व ग़म, शादी व मौत से इबारत है। मौत व हयात का निज़ाम

कायनात का एक जुज (हिस्सा) है, और हर जिन्दा रुह की मौत का वक्त मुकर्रर है। जिससे किसी को फरार नहीं। पैगम्बर हों, उनके सहाबा या दीगर औलियाल्लाह हों मौत का जाम हर किसी के लिए मुकर्रर है। दुश्मनाने दीन हों, अपने आपको “अना रब्बुकुमु आला” (मैं सबसे बड़ा रब्ब हूँ) कहलवाने वाले साहब जबरुत व सतूत हों। शाह हों या गदा, अमीर हों या फकीर, मौत बहरहाल सबका मुकद्दर है, क्योंकि सूरह आले इमरान आयत 185, सूरह अम्बिया आयत 35 और सूरह अनकबूत आयत 57 में इरशादे इलाही है :-

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

“हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है।”

इस कानूने इलाही के तहत जब किसी को मौत आ जाए तो ऐसे मौके पर फितरती अग्र है कि उसके करीबी और रिश्तेदारों को सदमा और दुख पहुँचेगा, मगर इसके इजहार की कहाँ तक और किस तरह गुजाईश है? इस सिलसिले में भी शरीअते इस्लामिया में वाज़ेह हिदायत मौजूद है। चुनान्चे अल्लाह तआला ने ऐसे मौके पर सब्र व हिम्मत से काम लेने की हिदायत करते हुए फरमाया :-

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
﴿عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعْتَلُونَ﴾

“और सब्र करने वालों को खूशखबरी दे दें, जो मुसीबत के वक्त यह कहते हैं कि हम सब अल्लाह के लिए हैं, और उसीकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला की रहमत व इनायत है। और यही लोग (आखिरत में) कामयाबी पाने वाले हैं।” (बकर: 155, 156, 157)

मुसीबत आ जाए, दिल दुखों से भर जाए, और सब्र का पैमाना लबरेज हो कर छलक पड़े, तो दिल का बोझ हलका करने के लिए रोना और आँसू बहाना भी जाईज़ है। क्योंकि ऐसे कई मौके पर खूद नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आँसू बहाना साबित है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदद बिन उबादा रज़ि . पर। (बुखारी 1304, मुस्लिम मअ नौव्वी 3/6/226) अपनी बेटी के एक लख्ते जिगर (अमामा बिनते ज़ैनब रज़ि .) पर। (बुखारी (1284) 3/180, मुस्लिम मय नौव्वी 3/6/224, सहीह अबी दाऊद 2680)

और खूद अपने लख्ते जिगर इब्राहीम रज़ि . पर आँसू बहाना साबित है। (बुखारी (1303) 3/206, मुस्लिम मय नौव्वी 8/15/75, सहीह अबी दाऊद 2681)

बशर्ते कि रोने और आँसू बहाने के साथ ज़बान ना चलाई जाए, मरने वाले की सिफात और उसकी मौत की वजह से पैश आने वाले मसाईब का ज़िक्र न किया जाए।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((ان الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب ولكن يعذب بهذا أويرحم (وأشار الى لسانه))

“अल्लाह तआला आँखों से आँसू बहाने और दिल के रज़ व गम पर अज़ाब नहीं करेगा। अलबत्ता उसके अज़ाब देने या रहम फरमाने का तअल्लुक इससे है। और यह कहते हुए आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने मुबारक की तरफ इशारा फरमाया।” (बुखारी मय फतह (1303) 3/209, मुस्लिम मअ नौव्वी 3/6/226, सहीह अबी दाऊद 2681)

नौहा ख्वानी और सौग व मातम

इस्लाम में मक़ाम व मर्तबा ऐ शहादत, और शहादत या तबई मौत मरने वालों के गमज़दा रिश्तेदारों और करीब वालों के सब्र व हिम्मत, और ऐसे मौके पर आँसू बहाने का ज़िक्र हो चुका है। और आँसू बहाने के साथ इस शर्त का भी ज़िक्र हो चुका है कि उसके साथ ज़बान से बयान करके रोना व नौहा ख्वानी, वावेला और वाही तबाही जाईज़ नहीं। क्योंकि नौहा ख्वानी आगे जाने वाले के साथ खैर ख्वाही नहीं, बल्कि बगैर इल्म के दुश्मनी के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه))

“मय्यत को अपने गमज़दा रिश्तेदारों की नौहा ख्वानी के सबब क़ब्र में अज़ाब होता है।” (बुखारी (1292) 3/191, मुस्लिम मअ नौव्वी 3/6/229, सहीह तिर्मिज़ी 800, सहीह नसाई 1749, इब्ने माजा 1593)

इस हदीस शरीफ का मफहूम बज़ाहिर सूरह अनआम की आयत 164, सूरह इसरा आयत 15, सूरह फातिर आयत 18, सूरह जुमर आयत 7 और सूरह नज्म की आयत 38 के खिलाफ है। जिसमें इरशादे इलाही है :-

﴿وَلَا تَذَرُوا زُورًا وَزُرُوا آخِرَى﴾

“किसी के गुनाह का बोझा कोई दूसरा नहीं उठाएगा।”

और अहले इल्म ने इस मुखालफत को दूर करने के लिए कई राय ज़िक्र की हैं। जिनमें से यह भी है कि आगे जाने वाला अगर अपने रिश्तेदारों को बैन व नौहा करने की वसियत करके जाए : और वह उस पर अमल कर गुज़रें, तो उसे उनके नौहा की वजह से अज़ाब दिया जाएगा। और बअज़ ने इस हदीस में ज़िक्र लफज़ “अज़ाब” का मफहूम “एहसासे रज़” बयान किया है। जबकि इमाम शौकानी रह. फरमाते हैं कि कुछ भी हो, हम तो यह कहते हैं कि (सहीह हदीसों में) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, कि रिश्तेदारों के बैन व नौहा करने से मय्यत को अज़ाब होता है, पर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना और इत्ताअत की। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते।” (अलफतहुर्रब्बानी 7/126-29)

बअज़ लोग और खुसूसन ख्वातीन गम के मौके पर सब्र का दामन छोड़ देती हैं, और जाईज़ रोने और आँसू बहाने के साथ साथ ही नौहा ख्वानी भी शुरू कर देती हैं, कि रोने के साथ साथ मरने वाले की सिफात और उसकी मौत की वजह से पैश आमदा मुसिबतों की गिनती शुरू हो जाती है। और एक राग के साथ बैन किए जाते हैं। इस नौहा ख्वानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। उम्मे अतिया रज़ि . से मरवी है :-

((أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة أن لا ننوح))

“हमसे बैअत लेते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद लिया था कि हम नौहा ख्वानी नहीं करेंगी।” (बुखारी 1306, मुस्लिम मअ नौव्वी 3/6/227, सहीह अबी दाऊद 2682, सहीह नसाई 3896)

और इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((انتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت))

“लोगों में दो बातें ऐसी हैं जिनका करना कुफ्र है। किसी के नसब में तअन करना और मर्यत पर नौहा ख्वानी करना।” (रियाजुस्सालिहीन स. 634)

और जो लोग किसी की मौत पर जोशे गम में होश खो देते हैं और बैन व नौहा ख्वानी के साथ साथ सिर के बालों को बिखेरना और नौचना, रुखसारों को पीटना, सीना कुटना व मातम करना, और कपड़े फाड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे काम करने वालों के बारे में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))

“जो अपने रुखसारों (गालों) को पीटे, कपड़े फाड़े और जमाना-ए-जाहलियत की तरह नौहा ख्वानी करे। वो हममें से नहीं है।” (बुखारी 3/133, मुस्लिम 103 बुखारी 1294 सहीह नसाई 1754, इब्ने माजा 1584)

अबू मूसा अशअरी रज़ि. से मरबी है :-

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرَى مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ))

“बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन करने, सर के बाल बिखेरने और मुंडाने और कपड़े फाड़ने वाली औरतों से बरअत का इजहार फरमाया है।” (बुखारी 3/131-32, मुस्लिम किताबुल ईमान 104, सहीह अबी दाऊद 2684, सहीह नसाई 1757, इब्ने माजा 1586)

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद लिया था :-

((أَنْ لَا نَحْمَشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُوا وَيْلًا وَلَا نَشُقَّ جَبِيًّا وَلَا نَنْشُرَ شَعْرًا))

“(कि) मुसीबत में न हम मुहँ नौचेंगी, न वावेला करेंगी, न कपड़े फाड़ेंगी, और न बाल बिखेरेंगी।” (रियाजुस्सालिहीन स. 635, सहीह अबी दाऊद 2685)

औरतें चूर्कि मर्दों की निस्बत कमज़ोर होती हैं और उनमें ऐसे उमूर का सुदूर मुमकिन होने की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद लिए, और अगर उसके बावजूद भी कोई औरत फरमाने नबवी की नाफरमानी करे तो ऐसी औरत के बारे में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من ودرع من جرب))

“नौहाख्वानी करने वाली औरत अगर तौबा किए बगैर मर गई तो कयामत के दिन वो इस हालत में उठाई जाएगी, कि आग की कमीस पहने होगी। और उसे खारिश की ज़िरआ पहनाई जाएगी।” (रियाजुस्सालिहीन स. 635, मुस्लिम मअ नौव्वी 3/6/235, 236,

इब्ने माजा 1581, 1582, मुसनद एहमद 5/342, 343, 344)

और मुसनद एहमद में यह अलफाज़ भी हैं :-

((ثم يعلّى عليها درع من النار))

“(कि) फिर उस आग से बने हुए कपड़े के ऊपर आग के शौले की ज़िरआ होगी।” (मुसनद एहमद 5/342, 343, 344, इब्ने माजा 1582)

शरीअते इस्लमिया हर मामले में चूँकि एतदाल पसंद है। इसमें न खूशी के मौके पर हद्दे एतदाल फलार्गना जाईज़ है, और न ही मौत का सौग मनाने पर लगाई गई हुदूद और पाबन्दियां तौड़ना रवा है, ऐसे मौके पर औरत की तबीअत का लिहाज़ रखते हुए इस्लाम ने इसके लिए शौहर के सिवा हर अज़ीज़ की मौत का सिर्फ तीन दिन सौग मनाना जाईज़ रखा है। अलबत्ता अगर किसी के शौहर की मौत हो जाए, तो उस औरत को चार माह और दस दिन तक सौग मनाने की इज़ाजत है। उन दिनों में वह ज़ैब व ज़ीनत न करे। न ज़ेवरात और रेशमी कपड़े पहने, और न ही खूशबू, मेंहदी और सुरमा वगैरा लगाए। क्योंकि इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है :-

((لا تحل المرأة فرق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب

عصب، ولا تكتحل ولا تلمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار))

“कोई औरत तीन दिन से ज़्यादा सौग न मनाए, सिवाए शौहर की वफात के, इस पर वह चार माह दस दिन सौग मना सकती है। वह रंगीन कपड़े न पहने सिवाए यमनी चादर के, वह न सुरमा लगाए और न ही खूशबू इस्तेमाल करे। सिवाए उस दिन के जिस दिन वह गुस्ले हैज़ से फारिग हो, तो ऊद वगैरा के धुएँ का इस्तेमाल कर सकती है।” (बुखारी (5342, 5343) 9/401, 402, मुस्लिम मअ नौव्वी 5/10/118 सहीह अबी दाऊद 18, 19, 20 सहीह नसाई 3308, 3310, इब्ने माजा 2087)

इमाम नौव्वी रह. के बकौल यह भी कोई खूशबू की गर्ज़ से नहीं, बल्कि महज़ खून जारी रहने से पैदा होने वाली बू को ज़ाईल करने की गर्ज़ से जाईज़ है। (मुस्लिम मअ नौव्वी 5/10/119)

अबू दाऊद व नसाई में यह अलफाज़ भी हैं “ولا تختضب” और वह मेंहदी व खिज़ाब भी न लगाए।” और नसाई में इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह अलफाज़ भी ज़िक्र है “ولا تمشط” और वह कंघी भी न करे।”

ये अहकाम सिर्फ औरतों के साथ खास हैं और वह भी आम अज़ीज़ों की निस्बत सिर्फ तीन दिन और शौहर के लिए चार माह दस दिन तक। और मर्दों के लिए उन उमूर में से कोई एक भी एक दिन के लिए जाईज़ नहीं है। सिवाए दिल के गम और आँखों के आँसूओं के।

इस इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नज़र बखूबी अदाज़ा किया जा सकता है कि वह लोग जो चौदह सौ साल पहले की मौते शहादत पर सौग मना रहे हैं। तालीमाते इस्लाम के सरासर खिलाफ काम करते हैं। जिसका किसी भी तरह कोई जवाज़ नहीं।

कर्बला के वाक्य की हकीकत

शहादते हुसैन रज़ि. और वाक्याते कर्बला के मौजू पर आज से कई सदियों पहले शैखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रह. (661 हि.-728 हि.) ने जो कुछ लिखा है वह हक व एतदाल का एक बेहतरीन नमूना दलाईल व बराहीन का नादर मजमूआ और खुदादाद फहमे सहीह का शाहकार है उन्होंने अपनी तालीफात में कई मकामात पर इसको मौजू-ए-बहस बनाया है। बिलखुसूस "मिनहाजुस्सुन्नह" में इस पर बड़ी उम्दा बहस फरमाई है जिसकी ज़रूरी तलखीस मौलाना अब्दुरज़्ज़ाक मलीहावादी ने ऊर्दू करके शाय कर दी थी इसकी अहमियत व इफादियत के पैशे नज़र हम यहाँ इमाम मौसूफ की वह तर्जुमा शुदा तहरीर नामवर मुहकिक मौलाना हाफिज़ सलाहउद्दीन यूसुफ हफिज़ुल्लाहु तआला की किताब "मुहर्रम और मौजूदा मुसलमान" से शुक्रिये के साथ पैश कर रहे हैं।

तम्हीद : उलमा-ए-इस्लाम में कोई एक भी यज़ीद बिन माविया रज़ि. को अबू बकर: रज़ि., उमर रज़ि., उस्मान रज़ि. और अली रज़ि. की तरह खुलफाए राशिदीन में से नहीं समझता हदीस में आया है कि :- ((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء))

"खिलाफत तीस बरस तक मिन्हाजे नबूव्वत पर रहेगी फिर सल्तनत हो जाएगी।" (मुसनद एहमद 5/220, 221 सुनने अबू दाऊद 4646, 4647, जामे तिमिज़ी 2227)

उलमा-ए-अहले सुन्नत इस हदीस के मुताबिक यज़ीद और उस जैसे आदमी और अब्बासी खुलफा को महज़ फरमौरवा बादशाह और इस मानी में खलीफा ख्याल करते हैं, उनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है यह एक महसूस वाक्या है जिसका इन्कार गैर मुमकिन है, क्योंकि यज़ीद अपने ज़माने में अमलन एक बादशाह एक हुक्मरॉ एक साहबे सैफ और खूदमुख्तार फरमारवाँ था अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठा, और शाम मिस्र इराक़ खुरासान वगैरा इस्लामी मुल्कों में उसका हुक्म नाफिज़ हुआ। सय्यदना हुसैन रज़ि. इसके पहले कि किसी मुल्क पर भी हाकिम हों। आशूरा के दिन 60 हिजरी में शहीद हो गये और यही यज़ीद की सल्तनत का पहला साल है।

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि. ने यज़ीद से इख्तिलाफ किया, और मक्का व हिजाज़ के रहने वालों ने उनका साथ दिया लेकिन यह वाक्या है कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खिलाफत का दावा यज़ीद की ज़िदगी में नहीं किया बल्कि उसके मरने के बाद किया यह भी एक तारीखी हकीकत है, कि शुरु शुरू में इख्तिलाफ करने के बावजूद अब्दुल्लाह बिन जुबैर यज़ीद के जीते जी उसकी बैअत पर रिज़ामंद हो गये थे, मगर चूँकि उसने यह शर्त लगा दी थी कि कैद हो कर उसकी हुज़ूर में हाज़िर हों इसलिए बैअत रह गई और बहम जंग बरपा हुई, पस अगरचे यज़ीद तमाम बिलादे इस्लामिया का हुक्मरॉ नहीं हुआ और अब्दुल्लाह बिन जुबैर का मातहत इलाक़ा

उसकी इताअत से बरगश्ता रहा, ताहम उससे उसकी बादशाहत और खिलाफत में शुब्ह नहीं हो सकता क्योंकि तीनों खुलफा अबूबकर: रज़ि., उमर रज़ि., उस्मान रज़ि. और फिर माविया बिन अबी सुफयान रज़ि., अब्दुलमालिक बिन मरवान और उसकी औलाद के सिवा कोई भी उमूवी या अब्बासी खलीफा पूरे बिलादे इस्लामिया का तन्हा फरमौरवा नहीं हुआ, हत्ता कि खूद सय्यदना अली रज़ि. के हाथ में तमाम दुनिया-ए-की हुक्मत न थी।

बादशहों पर खलीफा का इतलाक़

पस अगर अहले सुन्नत उन बादशहों में किसी को खलीफा या इमाम कहते हैं तो उससे मक़सद सिर्फ़ यह होता है कि वह अपने ज़माने में खूदमुख्तार था, ताक़तवर था, साहबे सैफ था अज़ल वनसब करता था, अपने अहकाम को नाफिज़ करने की कुव्वत रखता था, हदूद शरई क़ायम करता था, कुफ़ार पर जिहाद करता था, यज़ीद को इमाम खलीफा कहने का यही मतलब है और एक ऐसी वाकई बात है कि उसका इन्कार गैर मुमकिन है यज़ीद के साहबे इख्तियार बादशाह होने से इन्कार करना ऐसा ही है जैसे कोई इस वाक्ये से इन्कार कर दे कि अबू बकर: रज़ि., उमर रज़ि. हुक्मरॉ नहीं थे या यह कि कैसर व किसरा ने कभी हुक्मत नहीं की।

यह खलीफा मासूम ना थे

रह: नसअला कि यज़ीद, अब्दुलमालिक, मन्सूर वगैरा खुलफा नैक थे या बद सालेह थे या फाज़िर तो उलमा-ए-अहले सुन्नत न उन्हें मासूम समझते हैं। न उनके तमाम अहकाम व अमाल को अदल व इन्साफ़ क़रार देते हैं, और न हर बात में उनकी इताअत वाज़िब तसव्वूर करते हैं, अलबत्ता अहले सुन्नत वल जमाअत का यह ख्याल ज़रूर है कि इबादत व इताअत के बहुत से काम ऐसे हैं, जिनमें हमें उनकी ज़रूरत है मसलन यह कि उनके पीछे जुमा व ईदों की नमाज़ें क़ायम की जाती हैं, उनके साथ कुफ़ार पर जिहाद किया जाता है अग़्र बिलमारुफ़ व नही अनिलमुन्कर और हुदूदे शरई के क़याम में उनसे मदद मिलती है, नीज़ इसी नौ से दूसरे मामलात में अगर हुक्म न हों तो उन आमाल का ज़ाया हो जाना ग़ालिब तर है बल्कि उनमें से बअज़ का मौजूद होना ही गैर मुमकिन है।

इमाम बनाने के चंद ऊसूल

अहले सुन्नत के इस तरीक़े पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आमाले सालेह अज़ांम देने में अगर नेकों के साथ बुरे भी शामिल हों, तो उससे नेकों के अमल को ज़रा भी नुक़सान नहीं पहुँच सकता। बिलाशुब्ह ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आदिल सालेह इमाम बनाना मुमकिन हो तो फाज़िर और बिदअती शख्स को इमाम बनाना जाईज़ नहीं, अहले सुन्नत का यही मज़हब है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन न हो बल्कि इमामत के दोनों दावेदार फाज़िर व बिदअती हों तो जाहिर है कि हुदूदे शरई व इबादाते दीनिया के क़याम के लिए दोनों में से ज़्यादा अहलियत व क़ाबलियत वाले शख्स को मुन्तख़ब किया जाएगा। एक तीसरी सूत्र भी

है और वह यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो सालेह हो, मगर सिपहसलारी के फराईज व वाजिबात अदा करने का अहल न हो, इसके खिलाफ एक फाजिर शख्स हो जो बेहतरीन तरीके पर फोजियों की कयादत कर सकता हो तो जिस हद तक जंगी मकासिद का ताल्लुक है यकीनन आखरी जिक्र किए गये यानी फाजिर को सरबराह बनाना पड़े कि नेकी के कामों में उसकी इताअत व मदद की जाएगी बदी और बुराई में उस पर एतराज और इकार किया जाएगा।

भलाईयों की हिफाजत और नुकसान का खात्मा करना

गर्ज कि उम्मत की मसलहतों (भलाईयों) का लिहाज मुकद्दम है अगर किसी काम में बुराई और भलाई दोनों मौजूद हों तो देखा जाएगा किस का पल्ला भारी है, अगर भलाई ज्यादा नजर आए तो उस काम को पसंद किया जाएगा, अगर बुराई गालिब दिखाई दे तो उसको छोड़ने को तरजीह दी जाएगी। अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबरूस फरमाया था कि भलाईयों की ताईद व तकमील फरमाएँ और बुराईयों को मिटाए या कम करें यजीद, अब्दुलमालिक और मसूर जैसे खुलफा की इताअत इसलिए की गई कि उनकी मुखालफत में उम्मत के लिए नुकसान नफे से ज्यादा था। तारीख गवाह है कि इन खुलफा से जिन लोगों ने खुरुज (बगावत) किया उनसे उम्मत को सरासर नुकसान पहुँचा, नफा ज़रा भी नहीं हुआ बिलाशुब्ह उन खुरुज करने वालों में बड़े बड़े आलिम व नेक लोग थे मगर उनकी नेकी व खूबी से उनका यह अमल लाज़मन फायदे मन्द नहीं हो सकता। उन्होंने अपने खुरुज से न दीन को फायदा पहुँचाया, न दुनयवी नफा हासिल किया और मालूम रहे कि अल्लाह तआला किसी ऐसे अमल का हुक्म नहीं देता जिसमें न दुनिया का भला हो न दीन का, जिन लोगों ने खुरुज किया उन से कहीं ज्यादा अफज़ल सय्यदना अली रज़ि., सय्यदना तल्हा रज़ि., सय्यदना जुबैर रज़ि., सय्यदा आयशा रज़ि. वगैरह सहबा थे मगर उन्होंने अपनी खूँरेजी पर नापसंदीदगी का इज़हार किया।

फित्ने के दौर में खुरुज की मुमानिअत

यही वजह है कि हसन बसरी रह हज्जाज बिन यूसुफ सक़फी के खिलाफ बगावत से रोकते थे और कहते थे हज्जाज अल्लाह का अज़ाब है, उसे अपने हाथों के ज़ोर से रोकने की कोशिश न करो बल्कि अल्लाह के सामने गिरयावज़ारी करो क्योंकि उसने फरमाया :—

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوا رَبَّهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾

“हमने उनको अज़ाब के ज़रिये गिरफ्तार की उन्होंने फिर भी अपने रब के सामने न आजज़ी का इज़हार किया और न उसके हुज़ूर गिड़गिड़ाए।” (मोमिनून 76)

इस तरह और नेक लोग व इबादत गुजार भी खुलफा पर खुरुज और फित्ने के दौर में जंग से मना किया करते थे जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि., सईद बिन मुसय्यब रज़ि., ज़ैनुलआबिदीन रह., अली बिन हुसैन रज़ि. वगैरह बड़े बड़े सहाबा रज़ि. व ताबईन रह.

जंग हरह के ज़माने में यजीद के खिलाफ बगावत करने से रोकते थे, सहीह हदीसों में भी इसी मसलक की ताईद है इसीलिए अहले सुन्नत के नज़दीक ये तक़रीबन मुत्तफिक अलेय मसअला है कि फित्ने के दिनों में किताल व जिदाल (लड़ाई) से बचना और जुलम व ज़्यदती पर सब्र किया जाए और यह मसअला अपने अक़ाईद में भी जिक्र करते रहे हैं और जो शख्स उपर जिक्र हदीसों और अहले सुन्नत के साहबे बसीरत उलमा के तर्ज़े अमल व फिक्र में ताम्मुल (सोच विचार) करेगा उस पर मसलक की सेहत व सदाक़त बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी।

हुसैन रज़ि. का इराक़ जाने का इरादा

इसलिए जब सय्यदना हुसैन रज़ि. ने इराक़ जाने का इरादा किया तो बहुत से सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सय्यदना हुसैन रज़ि. को कूफा जाने रोकने की कोशिश की (लेकिन वह आपको रोकने में नाकाम रहे) जिन सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आपको रोकने की कोशिश की उनके नाम नीचे दर्ज किए जा रहे हैं :—

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि., अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन आस रज़ि., अबू सईद खुदरी रज़ि., अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि., अबूबकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस, और आपके भाई मुहम्मद बिन अली रज़ि. बिन अबी तालीब (इब्ने हनीफ़या)।

इन सबने आपके इरादे का पता चलने पर आपको कूफा जाने से रोका, उनमें से चंद एक के क़ौल यह हैं।

1. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि.

जब उन्हें पता चला कि सय्यदना हुसैन रज़ि. कूफा जाने वाले हैं तो आए और कहा, कि अगर मुझे यह खतरा न हो कि लोग मुझे और आपको बुरा कहेंगे तो मेरा जी चाहता है कि मैं अपने हाथों में आपके सर के बाल पकड़ लूँ और उस वक्त तक न छोड़ूँ जब तक आप अपना इरादा न बदल दें। (अलबिदाया वनहाया 8/161)

2. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि.

इमाम आमिर बिन शरहबील शअबी रह. फरमाते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. मक्का में थे जब उन्हें मालूम हुआ कि सय्यदना हुसैन रज़ि. इराक़ की तरफ़ रवाना हो चुके हैं तो आपने तीन रातों का सफर तै करके आपको रास्ते में जा लिया और पूछा :

“कहाँ जा रहे हो?”

आपने फरमाया : इराक़ जा रहा हूँ और आपने उनको इराक़ियों के भेजे हुए खतों को दिखाया कि यह हैं उनके खतों और उनकी बैअत !

और उन खतों में सय्यदना हुसैन रज़ि. की हिमायत का एलान था (आह ! ज़ालिमों ने आपको किस तरह धोका दिया !)

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने फरमाया :

“आप उनके पास न जाएँ।”

लेकिन सय्यदना हुसैन रज़ि. ने वहाँ जाने पर इसरार किया (और अपनी राय न बदली)
चुनांचे सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने फरमाया :

“ मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि :

जिबराईल अलै. सय्यदुल बशर रहमतुललिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको दुनिया व आखिरत में से एक चीज़ पसंद करने का इख्तियार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आखिरत को पसंद किया और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की ।

और आप भी उनका टुकड़ा हैं और अब्बाह की क्रसम ! आपमें से कोई शख्स भी सलतनत को हाथ में नहीं ले सकेगा और अब्बाह ने महज़ इसलिए आपको दुनिया से दूर दूर रखा है कि वह आपको इससे बेहतर चीज़ (आखिरत का घर) अता फरमाने वाला है ।
लेकिन आपने वापस लोटने से इन्कार कर दिया ।

चुनांचे सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. आपसे गले लग कर रोने लगे ।

और फरमाया :

“ मैं तुम्हें अब्बाह के सुपुर्द करता हूँ । एक शहीद होने वाले की सूरत में । ” (अलबिदाया वन्नहाया 8/162)

3. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि.

आपने सय्यदना हुसैन रज़ि. से पूछा कहाँ जा रहे हो ? क्या उस क्रौम की तरफ जा रहे हो जिसने आपके बाप को क़त्ल किया और आपके भाई को नेज़ा मारा, हुसैन ! उनके पास ना जाओ ! (अलबिदाया वन्नहाया 8/163)

4. सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी रज़ि.

आपने फरमाया : ऐ अबू अब्दुल्लाह ! मैं आपको नसीहत करने वाला हूँ और मुझे आपसे बड़ी शफ़क़त है, मुझे इत्तेला मिली है कि आपके साथ कूफी शीओं ने ख़त व किताबत की है और वह आपको उधर अपने पास आने की दअवत दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ न जाएँ क्योंकि मैंने कूफा में आपके बाप को यह कहते हुए सुना था कि :

“ अब्बाह की क्रसम ! मैं उनसे उकता गया हूँ और मुझे उनसे नफरत हो गई है । ”

और यह भी मुझसे उकता गए हैं और मुझसे नफरत करने लगे हैं और उनमें वफादारी कभी न होगी । और जिस किसीने उनके ज़रीए कामयाबीय की मंज़िल हासिल कर ली, उसे तीर नीम कश के सिवा कुछ हासिल ना हुआ, अब्बाह की क्रसम ! ना तो उनकी नीयतें (सहीह) हैं और ना किसी मसअले पर फैसला कुन अज़म है और ना ही तलवार पर सब्र कर सकते हैं । (अलबिदाया वन्नहाया 8:163)

5. मशहूर शायर फ़िरोज़ दक़

सय्यदना हुसैन रज़ि. कूफा की राह में आले रसूल के मदाह शायर फ़िरोज़दक़ से मिले और उससे पूछा : “ कहाँ से आ रहे हो ? ”

उसने कहाँ : “ इराक़ से । ”

आपने पूछा : “ इराक़ियों का क्या हाल है ? ”

उसने जवाब दिया : “ उनके दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें बनू उम्मया के साथ हैं । ”

तो आपने फरमाया : “ अब्बाह ही से मदद तलब है । ” और अपना इरादा मुल्तवी ना किया। (अलबिदाया वन्नहाया 8/168)

जब औबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सय्यदना हुसैन रज़ि. के निकलने की इत्तेला मिली तो उसने हुर् बिन यज़ीद को एक हज़ार सिपाहियों का दस्ता दे कर भेजा कि वह रास्ते में सय्यदना हुसैन रज़ि. से मिले । चुनांचे वह क़ादिसिया के करीब आपसे मिला और आपसे पूछा ।
ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लख्ते जिगर कहाँ जा रहे हो ?

आपने फरमाया : “ इराक़ की तरफ । ”

उसने कहाँ : “ मैं आपको हुक़्म देता हूँ कि आप लोट जाएँ और अब्बाह तआला मुझे आपके बारे में किसी आजमाईश में न डाले । आप जहाँ से आए हैं वहाँ लोट जाएँ या शाम चले जाएँ जहाँ यज़ीद बिन माविया है लेकिन कूफा न जाएँ ।

लेकिन हुसैन रज़ि. ने उसका हुक़्म मानने से इन्कार कर दिया और आपने इराक़ की तरफ चलना शुरू कर दिया जबकि हर बिन यज़ीद आपके सामने आता और आपको मना करता रहा, आखिर सय्यदना हुसैन रज़ि. ने उसे कहा “ मुझसे दूर हो जा, तेरी माँ तुझे गुम पाए । ”
हर बिन यज़ीद ने कहा : “ अब्बाह की क्रसम अगर आपके अलावा कोई और अरब मुझे यह बात कहता तो मैं उससे और उसकी माँ से क्रिसास लेता, लेकिन मैं क्या कहूँ ? क्योंकि आपकी माँ, पूरी दुनिया की औरतों की सरदार है । (आईना अय्यामे तारीख स. 175)

इन मशवरों से उन लोगों के मद्देनज़र सिर्फ आपकी खैर ख्वाही और मुसलमानों की मसलिहत (भलाईयां) थी मगर सय्यदना हुसैन रज़ि. अपने इरादे पर कायम रहे आदमी की राय कभी दुरुस्त होती है और कभी गलत हो जाती है । बाद के वाक्यात ने साबित कर दिया कि सय्यदना हुसैन रज़ि. को इराक़ जाने से रोकने वालों ही की राय दुरुस्त थी, क्योंकि आप के जाने से हरगिज़ दीनी या दुनियावी मसलिहतें (भलाईयां) हासिल न हुई बल्कि यह नुक़सान हुआ कि सरकशों और ज़ालिमों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गौसे पर काबू मिल गया, और वह मजलूम शहीद कर दिये गये । आपके जाने और फिर क़त्ल से जितने फ़साद पैदा हुए वह हरगिज़ वाक़े न होते । अगर आप अपनी जगह बैठे रहते क्योंकि जिस खैर वु सलाह के क़याम और शर व फ़साद को रोकने के लिए उठे थे उसमें कुछ भी हासिल न हुआ । बरअक्स उसके शर को गलबा व उरुज हासिल हो गया खैर व सुलाह में कमी आगई और एक अज़ीमुशशान दायमी फ़िले का दरवाज़ा खुल गया, जिस तरह सय्यदना उस्मान रज़ि. की शहादत से फ़िले फैले इसी तरह सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत ने भी फ़िलों के सैलाब बहा दिये ।

क़र्बला में सय्यदना हुसैन रज़ि. के साथ कौन कौन शहीद हुए ?

सय्यदना हुसैन रज़ि. के साथ आपके बहुत से अहले बेत शहीद हुए जिनकी तादाद 18 बनती है :-

चुनाचें औलादे अली रज़ि. बिन अबी तालिब में जो शहीद हुए उनके नाम यह हैं

(1) सय्यदना हुसैन रज़ि., (2) सय्यदना जाफर, (3) सय्यदना अब्बास, (4) सय्यदना अबूबकर, (5) सय्यदना मुहम्मद, (6) सय्यदना उस्मान, (सलवातुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु)

सय्यदना हुसैन रज़ि. की औलाद में से .

(7) सय्यदना अली अलअकबर, (8) सय्यदना अब्दुल्लाह (जबकि जैनुलआबदीन अली अलअसगर को अब्बाह तआला ने सलामत रखा) (सलवातुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु)

सय्यदना हसन बिन अली रज़ि. की औलाद में से

(9) सय्यदना अब्दुल्लाह, (10) सय्यदना कासिम, (11) सय्यदना अबू बकर (सलवातुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु)

सय्यदना अक़ील रज़ि. बिल अबी तालिब की औलाद में से

(12) सय्यदना जाफर, (13) सय्यदना अब्दुल्लाह, (14) सय्यदना अब्दुरहमान, (15) सय्यदना मुस्लिम (आपको कूफा में ही शहीद कर दिए गए थे), (16) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, (सलवातुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु)

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जाफर अबी तालिब की औलाद में से

(17) सय्यदना औन, (18) सय्यदना मुहम्मद (सलवातुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु)

आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तअल्लुक रखने वाले मज़क़ुरा 18 अफ़राद उस बे जोड़ लड़ाई में शहीद हुए।

सय्यदना हुसैन रज़ि. के सामने शहादत पाने वालों में (4) सय्यदना अबूबकर बिन अली रज़ि., (6) सय्यदना उस्मान बिन अली रज़ि., (11) सय्यदना अबू बकर बिन हुसैन बिन अली रज़ि. थे। लेकिन आप कभी भी उनके नाम शीओं की आडियो कैसेट या विडियो कैसेट में न सुनेंगे और न ही उनकी सादात किराम के नाम उन किताबों में मज़क़ूर हैं जो शीओं ने शहादते हुसैन रज़ि. के मुतअल्लिक तस्नीफ की हैं, उसकी आखीर वजह क्या है ?

शायद इसलिए कि लोगों को पता न चले कि सय्यदना अली मुर्तज़ा बिन अबी तालिब ने अपनी औलाद के नाम भी सय्यदना अबू बकर रज़ि., सय्यदना उमर रज़ि., सय्यदना उस्मान रज़ि. के नाम पर रखे थे। या यह कि सय्यदना हुसैन रज़ि. ने भी अबूबकर रज़ि. के नाम पर अपने बेटे का नाम अबूबकर (या उमर) रखा था। उनकी यह इल्मी ख्यानत बड़ी अज़ीब है।

क़र्बला की जंग क्यों ?

अहले सुन्नत के खुतबा और तक़रीर करने वाले सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत को इस

तरह बयान करते हैं जो खालिसन शीओं का अदांज़े फ़िक्क और राफज़ी आइडियालोजी का मज़हर होता है और इसके बारे में यह बावर कराया जाता है कि यह तारीख़े इस्लाम में हक़ व बातिल का सबसे बड़ा मारका (युद्ध) था और तक़रीर करने वाले यह नहीं सोचते कि अगर ऐसा ही होता तो उस दोरे ख़ैरुलक़ुरुन में, जबकि सहाबा किराम रज़ि. की भी एक जमाअत मौजूद थी और उनके फ़ैज़याफ़्तगान ताबईन तो बकसरत थे उस मारके में सय्यदना हुसैन रज़ि. ही अकेले क्यों सफ़आरा होते ? मारका होता हक़ व बातिल और कुफ़्र व इस्लाम का और सहाबा व ताबईन उससे न सिर्फ़ अलग रहते बल्कि सय्यदना हुसैन रज़ि. को भी उससे रोकते ? क्या ऐसा मुम्मकिन था ? शीओं की आइडियालोजी तो यही है कि वह (मआज़अब्बाह) सहाबा किराम के कुफ़्र व मुरतद और मुनाफ़िक़त के कायल हैं और वह यही कहेंगे कि हॉ इस मारका कुफ़्र व इस्लाम में एक तरफ़ सय्यदना हुसैन रज़ि. थे और दूसरी तरफ़ सहाबा समेत यज़ीद और दीगर उनके तमाम हिमायती, सहाबा व ताबईन उस जंग में खामोश तमाशाई बने रहे और सय्यदना हुसैन रज़ि. ने इस्लाम को बचाने के लिए जान की बाज़ी लगा दी लेकिन क्या अहले सुन्नत इस नुक्ता ए नज़र को तस्लीम कर लेंगे ? क्या सहाबा व ताबईन की इस बेग़ैरती व बेहमिय्यती की वह तस्दीक़ करेंगे जो शीओं के अदांज़े फ़िक्क का नतीजा है ? क्या सहाबा नअऊज़ुबिल्लाह बेग़ैरत थे ? उनमें दीनी हमिय्यत और दीन को बचाने का जज़्बा नहीं था ? यकीनन कोई अहले सुन्नत सहाबा किराम रज़ि. के बारे में इस किस्म का अक़ीदा नहीं रखता लेकिन इसके साथ साथ यह हक़ीक़त भी बड़ी कड़वी है कि एहले सुन्नत शहादते हुसैन रज़ि. का जो फलसफ़ा बयान करते हैं वह उसी ताल सुर से तरतीब पाता है जो शीअयत का मख़सूस राग़ है वाक़्या यह है कि क़र्बला का दर्दनाक वाक़्या मारका हक़ व बातिल बावर कराने से सहाबा किराम की अज़मत के किरदार और उनकी दीनी हमिय्यत ख़त्म होती है और शीओं का मक़सद भी यही है लेकिन यह हमारे सोचने की बात है कि वाक़्या ऐसा है या नहीं ? तो हक़ीक़त यह है कि हक़ व बातिल की जंग ना थी ? ये कुफ़्र व इस्लाम का मारका नहीं था यह इस्लाही जिहाद ना था अगर ऐसा होता तो इस राह में सय्यदना हुसैन रज़ि. अकेले न होते उन सहाबा किराम रज़ि. की मदद और साथ भी उन्हें हासिल होता जिनकी पूरी ज़िंदगी अब्बाह के कलमे को फ़ैलाने में गुज़री जो हमा वक्त बातिल के लिए शमशीर बरहेना और कुफ़्र व बातिल के खिलाफ़ इलाही ललकार थे यह मारका दरअसल एक सियासी नोईयत का था।

इस नुक्ते को समझने के लिए नीचे लिखे पहलू काबिले गौर हैं :-

1. वाक़्याते क़र्बला के बारे में सब ही तारीख़ों में है कि सय्यदना हुसैन रज़ि. जब कुफ़ा की तरफ़ कूच करने के लिए तैयार हो गए तो उनके रिश्तेदारों और हमदर्दों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की (जैसाकि अभी आप पिछले सफ़े पर पढ़ आए हैं) और इस क़दम के ख़तरनाक नताईज़ से उनको आगह किया। उनमें सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि., सय्यदना अबूसईद खुदरी रज़ि., सय्यदना अबूदरदा रज़ि., सय्यदना अबू वाकिद लैसी रज़ि., सय्यदना

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि., सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. और सय्यदना हुसैन रज़ि. के भाई मुहम्मद बिन हनफिया नुमाया हैं। आपने उनके जवाब में न कूफा के सफर का इरादा ही छोड़ा न अपने मौक़फ़ की कोई दलील पेश की वरना मस्किन था कि वह भी इस मौक़फ़ में उनके साथ मदद करने के लिए आमादा हो जाते। दरअसल सय्यदना हुसैन रज़ि. के ज़हन में यह बात थी कि अहले कूफा उनको मुसलसल कूफा आने की दअवत दे रहे हैं। यकीनन वहाँ जाना मुफीद ही रहेगा।

2. यह भी तमाम तारीखों में आता है कि अभी आप रास्ते ही में थे कि आपको खबर पहुँची कूफा में आपके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अक़ील शहीद कर दिए गए जिनको आपने कूफा के हालात मालूम करने के लिए ही भेजा था। इस अलमनाक खबर से आप का अहले कूफा पर एतमाद डगमगा गया और वापसी का इरादा ज़ाहिर किया लेकिन सय्यदना मुस्लिम रज़ि. के भाईयों ने यह कह कर वापस होने से इक़ार कर दिया हम तो अपने भाई मुस्लिम का बदला लेंगे या ख़ूद भी मर जाएँगे। इस पर सय्यदना हुसैन रज़ि. ने फरमाया “तुम्हारे बग़ैर में भी जी कर क्या करूँगा?” और यूँ इस क़ाफिले का सफर कूफा की तरफ जारी रहा। (तारीख तबरी ज़ि. 5 स. 386)

3. इस पर भी तमाम तारीखें मुत्तफ़िक हैं कि सय्यदना हुसैन रज़ि. जब मक़ामे कर्बला पहुँचे तो गवर्नर कुफा इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन सअद को मजबूर करके आपके मुक़बले के लिए भेजा उमर बिन सअद ने आपकी खिदमत में हाज़िर हो कर आपसे गुफ्तगू की तो कई तारीखी रिवायतों के मुताबिक सय्यदना हुसैन रज़ि. ने उनके सामने यह तजवीज़ रखी यानी तीन बातों में एक बात मान लो :-

- (1) मैं या तो किसी इस्लामी सरहद पर चला जाता हूँ।
- (2) या फिर वापस मदीने लोट जाता हूँ।
- (3) या फिर मैं बराहे रास्त जा कर यज़ीद बिन माविया के हाथ में अपना हाथ दे देता हूँ यानी उससे बैअत कर लेता हूँ। उमर बिन सअद ने उनकी यह तजवीज़ कबूल कर ली। (अलइसाबा 2/17)

उमर बिन सअद ने तजवीज़ मन्ज़ूर कर लेने के बाद यह तजवीज़ इब्ने ज़ियाद (गवर्नर कुफा) को लिख भेजी मगर उसने इस तजवीज़ को मानने से इन्कार कर दिया। और इस बात का इसरार किया कि (यज़ीद के हाथ से) पहले वह मेरे हाथ पर बैअत करें।

”فكتب اليه عبيد الله ابن زياد لا اقبل منه حتى يضع يده في يدي“ सय्यदना हुसैन रज़ि. इस के लिए तैयार ना थे और उनकी खुदारी ने यह ग़वार नहीं किया, चुनांचे इस शर्त को रद्द कर दिया जिससे लड़ई छिड़ गई और आपकी मज़लूमाना शहादत का यह वाक़्या पैश आ गया।
”فانا لله وانا اليه راجعون فامتنع الحسين فقاتلوه..... ثم كان آخر ذالك ان قتل رضی الله عنه وارضاه“

इस रिवायत के उपर लिखे अल्फाज़ अलइसाबा के अलावा तहज़ीबुत तहज़ीब 2/348-353, तारीखे तिबरी 5/392-413-414, तहज़ीब तारीखे इब्ने असाकिर 4/325-337, अलबिदाया वन्नहाया 8/170-175, और कामिल इब्ने असीर 3/282 और दीगर कई किताबों में मौजूद हैं हत्ता कि शियों की किताबों में भी।

इन तारीखी हवालों से मालूम हो गया कि अगर यह हक़ व बातिल का मारका होता तो कूफे के करीब पहुँच कर जब आपको मुस्लिम बिन अक़ील की मज़लूमाना शहादत की खबर मिली थी, आप वापसी का इरादा ज़ाहिर न फरमाते ज़ाहिर बात है कि राहे हक़ में किसी की शाहदत से हक़ को नाफिज़ करने और बातिल को मिटाने का फरीज़ा ख़त्म नहीं हो जाता। फिर उन शर्तों से जो आप रज़ि. ने उमर बिन सअद के सामने रखी, यह बात बिल्कुल नुमाया हो जाती है कि अगर आपके ज़ेहन में कुछ अदंशे थे भी तो आप उनसे दस्तबरदार हो गये थे बल्कि यज़ीद की हुकूमत तक को तस्लीम कर लेने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी।

एक यह बात इससे वाज़ेह हुई कि सय्यदना हुसैन रज़ि., अमीर यज़ीद को फासिक़ व फाजिर या हुकूमत का नाअहल नहीं समझते थे अगर ऐसा होता तो वह किसी हालत में भी अपना हाथ उसके हाथ में देने के लिए तैयार न होते जैसाकि वह तैयार हो गए थे बल्कि यज़ीद के पास जाने के मुतालबे से यह भी मालूम होता है कि आपको उनसे हुस्ने सुलूक की ही तवक्का थी, ज़ालिम बादशाह के पास जाने की आरज़ू आखरी चारा कार के तौर पर भी कोई नहीं करता।

इस तफ़सील से इस हादसे के ज़िम्मेदार भी बेनकाब हो जाते हैं और वह है इब्ने ज़ियाद की फौज़, जो सब वही कूफी थे जिन्होंने आप रज़ि. को खत लिख कर बुलाया था, उन्हीं कूफ़ियों ने उमर बिन सअद की कोशिशों को भी नाकाम बना दिया जिससे कर्बला का अलमनाक वाक़्या पैश आया।

मारुफ में इताअत

अब यह बात साफ़ हो गई कि यज़ीद का कोई मआमला अलग नहीं बल्कि दूसरे मुसलमान बादशहों का सा मआमला है यानी जिस किसी ने इताअते इलाही मसलन नमाज़, हज़ और ज़कात, जिहाद अत्रबिल मारुफ वनही अनिल मुन्कर और इक़ामते हुदूदे शरईया में उनकी मदद की उसे अपनी उस नेकी और अल्लाह और रसूलुल्लाह सबल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमोबंदारी पर सवाब मिलेगा चुनांचे उस ज़माने के सालेह मोमिनीन मसलन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. वगैरा का यही तरीक़ा था लेकिन जिसने उन बादशहों के झूठ की तसदीक़ की और उनके जुल्म मे मददगार हुआ वह गुनाहगार हुआ और लअनत व मलामत और मज़म्मत (बुराई) व सज़ा का सज़ावार हुआ। यही वजह है कि सहाबा रज़ि. यज़ीद वगैरा उमरा की मातहत में जिहाद को जाते थे चुनांचे जब यज़ीद ने अपने बाप माविया रज़ि. की ज़िंदगी में कुस्तुनतुनिया का ग़ज़वा किया तो उसकी फौज़ में अबू अय्यूब असांरी रज़ि. जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी शरीक थे। (यह ग़ज़वा 51 ज़ि. में हुआ जिसमें सय्यदना हुसैन रज़ि. यज़ीद

की मातहत में शरीक थे (अलहिदाया वन्नहाया 8/151) यह मुसलमानों की सबसे पहली फौज है जिसने कुस्तुनतुनिया का ग़ज़वा किया और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

((اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم))

“जो फौज सबसे पहले कुस्तुनतुनिया का ग़ज़वा करेगी मग़फूर यानी बख्शाई है।” (सहीह बुखारी 6/127 हदीस न. 2924)

यज़ीद के बारे में इफरात व तफरीत

इस तफरीत के बाद हम यह कहते हैं कि यज़ीद के बारे में लोगों ने इफरात व तफरीत से काम लिया है एक गिरोह तो खुलफाए राशिदीन और अम्बियाए मुकर्रबीन में से समझता है और यह सरासर गलत है दूसरा गिरोह उसे बातिन में काफिर व मुनाफ़िक बताता है। और कहता है कि उसने जान बुझ कर सय्यदना हुसैन रज़ि. को शहीद किया और मदीना में क़त्ले आम कराया, ताकि अपने रिश्तेदारों के खून का इन्तिक्राम ले जो बद्र व खदक़ वगैरा की जंगों में बनी हाशिम और अंसार के हाथों क़त्ल हुए थे।

हकीकते हाल

हकीकत यह है कि यज़ीद मुसलमान बादशाहों में से एक बादशाह और दुनिया दार खुलफा में से एक खलीफा था रहे सय्यदना हुसैन तो बिला शुब्हा इस तरह मज़लूम शहीद हुए, जिस तरह और बहुत से सालिहीन जुल्म व क़हर के हाथों जामे शहादत पी चुके थे। बगैर शक़ शुब्ह सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार व नाफरमान है। उससे वह तमाम लोग आलूदा हैं जिन्होंने अपने हाथों से क़त्ल किया या क़त्ल में मदद की या क़त्ल को पसंद किया।

शहदाते हुसैन रज़ि. के बारे में इफरात व तफरीत

जिस तरह लोगों ने यज़ीद के बारे में इफरात व तफरीत से काम लिया है। इसी तरह बअज़ों ने सय्यदना हुसैन रज़ि. के बारे में बेएतदाली बरती है।

एक गिरोह कहता है (अल्लाह तआला की पनाह) उनका क़त्ल दुरुस्त और शरीअत के मुताबिक़ हुआ क्योंकि उन्होंने मुसलमानों में फूट डालने और जमाअत को तोड़ने की कोशिश की थी, और जो ऐसा करे उसका क़त्ल वाजिब है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं ((من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقبلوه))

“इतेफाक़ की सूरत में जो तुममें फूट डालने आए उसे क़त्ल कर डालो।” सय्यदना हुसैन रज़ि. भी फूट डालना चाहते थे इसलिए बजा तौर पर क़त्ल कर डाले गये बल्कि बअज़ों ने यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम में अव्वलीन बागी हुसैन रज़ि. हैं।

उनके मुकाबले में दूसरा गिरोह कहता है :-

सय्यदना हुसैन रज़ि. इमाम बरहक़ थे उनकी इताअत वाजिब थी उनके बगैर ईमान का

कोई तकाज़ा भी पूरा नहीं हो सकता, जब तक उनकी तरफ से इजाज़त मौजूद न हो।

मुकाबले का इरादा छोड़ दिया

इन दोनों निहायत गलतियों के दरम्यान अहले सुन्नत हैं वह न पहले गिरोह के हमनवा हैं, और न दूसरे गिरोह के उनका ख्याल है कि सय्यदना हुसैन मज़लूम शहीद किए गये, उनके हाथ में उम्मत की सियासी बागडोर नहीं आई इसके अलावा उपर ज़िक्र हदीस उन पर चरपा नहीं होती क्योंकि जब उन्हें अपने भाई मुस्लिम बिन अक़ील का अज़ाम मालूम हुआ तो वह अपने इस इरादे से दस्तबरदार हो गए थे (यानी रास्ते से वापस मक्का जाने का इरादा कर लिया, लेकिन मुस्लिम के भाईयों के इसरार का साथ देना पड़ा जैसा कि सुन्नी व शीयी सब तारीखों में है)। और फरमाते थे :

मुझे वतन जाने दो या किसी सरहद पर मुसलमानों की फौज से जा मिलने दो या खूद यज़ीद के पास पहुँचा दो (तारीख तबरी 5/313) मगर मुखालिफ़ीन ने उनकी कोई बात न मानी और क़ैद करने पर इसरार किया जिसे उन्होंने ने नामंज़ूर कर दिया क्योंकि उसे मंज़ूर करना उन पर शरअन वाजिब न था।

वाक़्याते शहादत में मुबालागा

जिन लोगों ने वाक़्याते शहादत क़लमबंद किए हैं उनके अक्सर ने बहुत कुछ झूट मिला दिया है जिस तरह शहादते उस्मान ब्यान करने वालों ने किया, और जैसे लड़ाई और फतूहात के रावियों का हाल है हत्ता कि वाक़्याते शहादत के इतिहासकार में से बाज़ अहले इल्म मसलन बग़वी और इब्नुल अज़ा गवैरह भी बेबुनियाद रिवायतों का शिकार हो गये हैं। रहे वह मुसन्नफ़ जो बिला सनद वाक़्यात रिवायत करते हैं तो उनके यहाँ झूट व अफसाना बहुत ज्यादा है।⁽¹⁾

दनदाने मुबारक पर छड़ी मारने का वाक़्या

सहीह तौर पर सिर्फ़ इस क़दर साबित है कि सय्यदना हुसैन रज़ि. शहीद किए गए तो आप

(1) दुनिया में इसानी अज़मत व शोहरत के साथ हकीकत का तवाज़ुन बहुत कम रह सका है यह अजीब बात है कि जो शख्सियतें अज़मत व तक़द्दुस और शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच जाती हैं। दुनिया अमूमन तारीख व हकीकत से ज्यादा अफसाने व किस्सों के अंदाज़ में दुबुना चाहती हैं। इसलिए फलसफ़-ए-तारीख के बानी इब्ने खुल्दून को यह क़ायदा बता देना पड़ा कि जो वाक़्या दुनिया में जिस क़दर मक़बूल व मशहूर होगा। उस तरह अफसाना बनाने वाले उसे अपने अफसानों का मौजू बना लेते हैं। एक मस्खी शायर गौएटे ने यही हकीकत एक दूसरे पैराए में ब्यान की है वह कहता है कि इसानी अज़मत की इन्तिहा यह है कि अफसाना बन जाए।

वाक़्या ए करबला और सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत का इतना मशहूर और तासीर रखने वाला वाक़्या भी तारीख से कहीं ज्यादा अफसानो की सूरत में इख्तियार कर चुका है। अगर आज जो इसकी हकीकत देखना चाहे कि सिर्फ़ तारीख की शहादतों के अंदर इस वाक़ये का मुतालआ करे। तो अक्सर उसे मायूसी से दोचार होना पड़ेगा इस वक्त जिस क़दर भी मक़बूल तारीख का ज़खीरा इस मौजू पर मौजूद है वो ज्यादातर रज़ाख़वानी से तालुक़ रखता है। (मौलाना अबूल कलाम आज़ाद)

रज़ि. का सर मुबारक ओबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने लाया गया। उसने आपके दाँतो पर छड़ी मारी और आप रज़ि. के हुस्न की मज़मूत की। मज़लिस में सय्यदना अनस रज़ि. और अबूबरज़ा असलमी रज़ि. दो सहाबी मौजूद थे। अनस रज़ि. ही बल्कि सहाबा को भी आपकी शहादत से बेहद मलाल था, चुनांचे सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से एक इराक़ी ने पूछा कि हालते एहराम में मक्की का मारना जाईज़ है उन्होंने गुस्सा हो कर जवाब दिया :-

“ऐ अहले इराक़ तुम्हे मक्की की जान का इतना ख्याल है हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को क़त्ल कर चुके हो।” बाज़ रिवायतों में दाँतों छड़ी का वाक़्या यज़ीद की तरफ़ मनसूब किया गया है, जो बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि जो सहाबी इस वाक़ये में मौजूद थे वह दमिश्क़ में नहीं थे इराक़ में थे, कई इतिहासकारों ने जो नक़ल किया है वो यही है कि यज़ीद ने सय्यदना हुसैन रज़ि. के क़त्ल का हुक्म नहीं दिया और न यह बात ही उसके पैशे नज़र थी बल्कि वह तो अपने बाप माविया रज़ि. की वसीयत के मुताबिक़ उनकी ताज़ीम व तक़रीम करना चाहता था, अलबत्ता उसकी यह ख्वाहिश ज़रूर थी कि आप ख़िलाफ़त के उम्मीदवार हो कर उस पर ख़ुर्रुज (बगावत) न करें। सय्यदना हुसैन रज़ि. जब कर्बला पहुँचे आपको अहले कुफ़ा की बेवफ़ाई का यक़ीन हो गया तो हर तरह के मुतालबे से दस्त बरदार हो गए थे मगर मुख़ालिफ़ों ने उन्हें न वापस होने दिया न जिहाद पर जाने दिया और न यज़ीद के पास पहुँचने पर रज़ामदं हुए बल्कि क़ैद करना चाहा जिसे आपने नामज़ूर किया और शहीद हुए। यज़ीद और उसके ख़ानदान को जब यह ख़बर पहुँची तो बहुत रज़ादा हुए और रोये बल्कि यज़ीद ने तो यहाँ तक कहा :-

((لعن الله ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد) اما واللہ لو کان بینہ وبين الحسين رحم لما قتله))
ओबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर अल्लाह की लाअनत और अल्लाह की कसम अगर वह ख़ूद हुसैन रज़ि. का रिश्तेदार होता तो हरगिज़ क़त्ल न करता और कहा :
(كنت ارضى من طاعة اهل العراق بدين قتل الحسين))

बग़ैर क़त्ल हुसैन रज़ि. के भी मैं अहले इराक़ की इताअत मज़ूर कर सकता था। फिर उसने सय्यदना हुसैन रज़ि. के रंजिदा अहल व अयाल क़ी बड़ी ख़ातिर दानी की इज़त के साथ उन्हें मदीना वापस पहुँचा दिया।

यज़ीद ने एहले बैत की बेहुरमती नहीं की

बिलाशुब्हा यह भी दुरुस्त है कि यज़ीद ने सय्यदना हुसैन रज़ि. की तरफ़दारी नहीं की न उनके क़ातिलों को क़त्ल किया न उनसे इन्तिक़ाम लिया लेकिन यह कहना सफ़ेद झूट है कि उसने अहले बैत की ख्वातीन को कनीज़ बनाया मुल्क मुल्क फिराया, और बग़ैर कज़ावा के उन्हें ऊँट पर सवार कराया अलहम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने आज तक किसी हाशमी औरत से यह सुलूक नहीं किया और न इसे उम्मत मुहम्मदी ने किसी हाल में जाईज़ रखा है।

फज़ीलत को कोई दूसरा काम नहीं पहुँच सकता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हर अमल को फज़ीलत और उसके अज़ को बढ़ा देती है। उन ग़ज़वाते अज़ीम के मुकाबले में

सय्यदना हुसैन रज़ि. को शहीद करने का गुनाहे अज़ीम

यह बिल्कुल दुरुस्त है कि सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत अज़ीम तरीन गुनाहों में से एक गुनाह थी, जिन्होंने ये अमल किया या उसमें मदद की जो इससे ख़ूश हुए वो सब के सब उस अज़ाबे इलाही के सज़ावार हैं, जो ऐसे लोगों के लिए शरीअत में वारीद है लेकिन हुसैन रज़ि. का क़त्ल उन लोगों के क़त्ल से बढ़कर नहीं जो उनसे अफ़ज़ल थे। मसलन अम्बिया मोमिनीने अव्वलीन, शुहदा-ए-यमामा, शुहदा-ए-उहद, सय्यदना उस्मान रज़ि. या ख़ूद सय्यदना अली रज़ि. बल्कि सय्यदना अली रज़ि. के क़ातिल तो आपको काफ़िर और मुरतद समझते और यक़ीन करते थे, कि आपका क़त्ल अज़ीम तरीन इबादत है बरख़िलाफ़ सय्यदना हुसैन रज़ि. के कि उनके क़ातिल उन्हें ऐसा नहीं समझते थे उनमें से अक्सर आपके क़त्ल को नापसंद करते और एक बड़ा गुनाह तसव्वूर करत थे, लेकिन अपनी गर्ज़ के ख़ातिर इस ग़लत अमल के मुरतकिब हुए जैसा कि लोग सलतनत के लिए आपस में खूँ रेज़ी किया करते हैं।

कर्बला के वाक़ये की हैसियत

वाक़्या ए कर्बला और उसका दरज़ा क्या है? आम मुसलमान इस बारे में गुलू के शिकार हैं, यह वाक़्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 61 हि. मे यानी 50 साल के बाद पैश आया उस वक्त बहुत से सहाबा किराम व ताबईन एज़ाम थे, लेकिन उस दौर मे इस ह्रादसे को इतनी अहमियत व हैसियत न दी गई जितनी अहमियत दौरे हाज़िर में हासिल हो गई ये वाक़्या इस हक़ीक़त का आईना दार है कि उसे वह अहमियत व हैसियत हासिल नहीं है जो आज हम समझ रहे हैं। यह कहना कि जंगे कर्बला का दरज़ा इस्लाम के हर जंग से बढ़ कर हुआ है और उसमें शहीद होने वालों का मर्तबा इस्लाम के सब शहीदों से बुलंद व बाला है। शीया हज़रात को छोड़े अहले सुन्नत का एक तबक़ा इस गुलू में मुब्तिला है जैसा कि उपर शैख़ुलइस्लाम इब्ने तैमिया रह. ने ज़िक़्र किया जो नज़र से गुज़रा। मज़ीद वज़ाहत के लिए नीचे लिखी बातों पर गौर कीजिए तो हक़ीक़त अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। जिन ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ूद बनफ़से नफ़ीस शरीक हुए उनकी अज़मत का तो पूछना ही क्या है इसके अलावा भी उनमें अल्लाह तआला ने तीन ख़ुसूसियतें ऐसी जमा कर दी थी जिनके होते हुए दुनिया की कोई जंग उनके मर्तबे को नहीं पहुँच सकती।

अव्वल : वह लड़ाईयाँ जो महज़ अल्लाह तआला का कल्मा बुलंद करने के लिए और दीन की इशाअत के लिए लड़ी गई थी।

दो : यह कि उनसे दीन की बुनियाद मुस्तहक़म हुई दीने हक़ मिटने से रहा उसकी इशाअत के लिए रास्ते हमवार हुए। अगर यह न होते तो उसके बाद के ज़मानों मे दीन बाक़ी न रह सकता था दुश्मनाने इस्लाम उसे इब्तिदा ही में फना कर देते।

तीन : ख़ूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी व शिरक़त जिस काम में हो उसकी

वाक्या कर्बला को लाना सूरज का मुकाबला चिराग से करना है। कर्बला के वाक्या को उन वाक्यात से कोई निस्बत ही नहीं।

इन गज़वात के बाद उन मुजाहिदाना मार्कों का दरजा है जो खुलफा ए राशिदीन के ज़माने में हुए।

शहादते हुसैन रज़ि. में यज़ीद का किरदार

सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत में यज़ीद बिन माविया रज़ि. का कोई हाथ न था और हमारी यह बात यज़ीद बिन माविया रज़ि. के दिफा के क़बील से नहीं बल्कि हक़ के दिफा के लिए है।

यज़ीद ने ओबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इसलिए भेजा कि वह सय्यदना हुसैन रज़ि. को कूफा में दाखिल होने से रोक दे, उसने ओबैदुल्लाह को आपके क़त्ल का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि सय्यदना हुसैन रज़ि. बज़ाते ख़ूद यज़ीद के मुतअल्लिक हुसने ज़न रखते थे, इसलिए तो आपने फरमाया था कि मुझे यज़ीद के पास जाने दो, ताकि मैं उसके हाथ में अपना हाथ दे दूँ।

शैखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमीया रह. फरमाते हैं कि : तमाम मुवरीखीन का इस हकीकत पर इत्तेफाक़ है, कि यज़ीद बिन माविया रज़ि. ने सय्यदना हुसैन रज़ि. के क़त्ल का हुक्म नहीं दिया था, अलबत्ता उसने इब्ने ज़ियाद की तरफ यह ज़रूर लिखा था कि वह आपको इराक़ की इमारत से रोके। और जब उसे सय्यदना हुसैन रज़ि. की शहादत की इत्तलाअ मिली तो उसने उस पर शदीद दुख और रज़ व अलम का इज़हार किया और उसके घर से अहो बुका की आवाज़ें बुलंद हुई और उसने अहले बैत की ख्वातिन को कभी क़ैदी न बनाया, बल्कि उसने उनका इकराम किया और उन्हें इकराम के साथ मदीना जाने की इजाज़त दी बल्कि उन्हें वहाँ पहुँचाया।

रही वह रिवायात जो शीओं की किताबों में दर्ज हैं कि आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों की तौहीन की गई और उन्हें क़ैद कर के शाम ले जाया गया और वहाँ उनकी तौहीन की गई तो यह सब झूठ हैं (इनका हकीकत से ज़रूरी बराबर भी तअल्लुक नहीं), बल्कि बनूउम्मया (अपने चचेरे खानदान) बनू हाशिम की ताज़ीम करते थे, यही वजह थी कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान को फातिमा बिनते अब्दुल्लाह बिन जाफर हाशमी से हज्जाज यूसुफ गवर्नर इराक़ के निकाह की इत्तला मिली तो उसने उसे रदद कर दिया और हज्जाज को हुक्म दिया कि वह उससे जुदा रहे और उसे तलाक़ दे दे (इससे साबित हुआ कि) वह बनू हाशिम की ताज़ीम करते थे, बल्कि हाशमी ख्वातीन को कभी भी क़ैदी नहीं बनाया गया। (मिनहाजुस्सुन्न 4/557, 558, 559)

चुनांचे उस दौर में हाशमी ख्वातीन का बड़ा एहताराम था वह मुअज़्ज़ व मुहततरम समझी जाती थी, लिहाज़ा यज़ीद के मुताल्लिक जो यह बयान किया जाता है कि उसने अहले बैत शरीक थे यज़ीद की इमामत में नमाज़ें पढ़ते थे कहीं भी यह मकूल (लिखा हुआ) नहीं है कि किसी ने यज़ीद की इमामत में नमाज़ नापसंद की हो। हर साहेबे ईमान के बारे में ख्वाह वह

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वातीन को क़ैदी बनाय, यह बेकार दास्तान और बहुत बड़ा झूठ है।

बाक़ी रही यह बात कि सय्यदना हुसैन रज़ि. के सरे मुबारक को यज़ीद की तरफ भेजा गया तो यह भी सफेद झूठ है और इसका कोई सुबूत नहीं। हों अलबत्ता आपका सरे मुबारक ओबैदुल्लाह के पास कूफा में ले जाया गया और सय्यदना हुसैन रज़ि. को दफन कर दिया गया और उनकी क़ब्र के बारे में मालूम नहीं हो सका, लेकिन मशहूर यह है कि उन्हें कर्बला में उस जगह दफन किया गया था जहाँ आपकी शहादत हुई थी। रज़ि.।

हदीस कुस्तुनतुनिया

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर जो फौज लड़ेगी अल्लाह उनकी बख्शीश फरमाएगा यह रिवायत बुखारी में कई जगह है। बुखारी किताबुल जिहाद माक़ीला फी कितालि ए रुमे में इन अल्फाज़ के साथ वारिद है :-

((اول جيش من امتي يغزون البحر قد وجبوا قالت ام جرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال

انت فيهم ثم قال النبي ﷺ اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم قلت انا فيهم يا

رسول الله ﷺ قال لا.))

“मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर बहरी (समुद्री) जिहाद करेगा उन लोगों ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। उम्मे हराम कहती है, मैंने अर्ज़ किया : ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनमें से होंऊगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : हों तुम उनमें से हो फिर आपने फरमाया : मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर क़ैसर के शहर का जिहाद करेगा उनके लिए मग़्फ़िरत मुक़द्दर हो चुकी है। उम्मे हराम ने कहा : या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! मैं उनमें से हूँ ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं।”

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने फतहुल बारी शरह बुखारी में इस जगह इस मौज़ू पर मुफ़स्सल बहस की है और इस सिलसिले में फरमाते हैं :

((قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لا نه اول من غزا البحر و منقبة لولده يزيد لا نه اول

من غزا مدينة قيصر))

इस हदीस में मनक़बत है। माविया रज़ि. की क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बहरी जिहाद किया और इसी तरह इस हदीस में माविया रज़ि. के लड़के यज़ीद की मनक़बत है क्योंकि उसीने सबसे पहले मदीना-ए-क़ैसर (कुस्तुनतुनिया) का गज़वा किया है।

इस गज़वा-ए-कुस्तुनतुनिया में यज़ीद ही अमीरे लश्कर था और उसकी मातहत में बड़े बड़े सहाबा किराम शरीके गज़वा थे। हत्ता कि सय्यदना हुसैन रज़ि. भी उसमें शामिल थे, इसी गज़वा में सय्यदना अबू अय्यूब रज़ि. की नमाज़े जनाज़ा उनकी वसियत के मुताबिक़ यज़ीद ही ने पढ़ाई, और सय्यदना हुसैन रज़ि. व सहाबा किराम रज़ि. जो भी इस गज़वा में

फासिक व फाजिर ही सही जिस क़दर मुम्किन हो। भलाई व ख़ैर का रुजहान व जज़बा होना चाहिए मगर बाज़ लोगों का यह रुजहान और यह कोशिश अज़ीब है कि अल्लाह तआला की तरफ से यज़ीद की मग़िफ़रत का कोई बहाना निकलता नज़र आता भी हो तो हुज़्रज व त़ाविल के ज़रीए से रद्द करने के दरपे नज़र आते हैं।

बुख़ारी शरीफ की इस ज़िक्र की हुई हदीस की बाबत भी बाज़ अहले इल्म ने ऐसी बहसें छेड़ दी हैं कि किसी तरह यज़ीद को इस मग़िफ़रते इलाही से महरुम साबित कर दिया जाए, यह बात करीने इसाफ़ नहीं मालूम होती। यज़ीद के फ़िस्क्र व फुज़ूर की मन घाड़त मौज़ू दास्ताने तो मुस्लमा हकाईक़ की तरफ़ ब्यान की जाती हैं, लेकिन अली रज़ि. के साहबज़ादे मुहम्मद बिन हनफ़ीया के नाम से मशहूर हैं कि यह शहादत उन हलक़ों में किसी तरह क़ाबिले कुबूल नहीं हो रही है।

मुहम्मद बिन हनफ़ीया की तरफ से यज़ीद की सफ़ाई

सय्यदना हुसैन रज़ि. के भाई मुहम्मद बिन हनफ़ीया ने लोगों के सामने जिनके हाथ में “फ़िले फ़साद” की कयादत थी यज़ीद की बैत तोड़ने और उसके खिलाफ़ किसी कारवाइ में शिरकत करने से इकार कर दिया, बल्कि यज़ीद पर लगाए गये इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और यज़ीद की सफ़ाई पैश की इस मौक़े पर जो उन्होंने तारीखी ब्यान दिया वह नीचे लिखा जा रहा है :-

“अब्दुल्लाह बिन अलमती और उनके साथी सय्यदना अली रज़ि. के साहबज़ादे मुहम्मद बिन हनफ़ीया के पास गए और उन्हें यज़ीद की बैत तोड़ देने पर रज़ामंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ़ इकार कर दिया इब्ने मती ने कहा यज़ीद शराब पीता, नमाज़ नहीं पढ़ता और अल्लाह की किताब के हुक्म से मुहं मोड़ता है। मुहम्मद बिन हनफ़ीया ने कहा तुम जिन बातों का ज़िक्र करते हो मैंने उनमें से कोई चीज़ उसमें नहीं देखी। मैं उसके पास गया हूँ मेरा वहाँ क़याम भी रहा, मैंने उसको हमेशा नमाज़ का पाबन्द ख़ैर का तलाशी इल्मे दीन का तालिब और सुन्नत का हमेशा पासदार पाया वह कहना लगे वह सब कुछ महज़ बनावट और आपको दिखावे के लिए करता होगा। मुहम्मद बिन हनफ़ीया ने जवाब में कहा मुझसे उसे कौनसा खौफ़ या लालच था जिस की बिना पर उसने मेरे सामने दिखावा किया ? तुम जो शराब पीने का ज़िक्र करते हो क्या तुममें से किसीने ख़ूद उसे ऐसा करते देखा है ? अगर तुम्हारे सामने उसने ऐसा किया तो तुम भी उसके साथ उस काम में शरीक हुए और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उस चीज़ के बारे में क्या गवाही दे सकते हो। जिसका तुम्हें इल्म नहीं वह कहने लगे : यह बात हमारे नज़दीक़ सच है अगरचे हममें से किसी ने ऐसा करते नहीं देखा। मुहम्मद बिन हनफ़ीया ने फरमाया : अल्लाह तो इस बात को तस्लीम नहीं करता वो तो फरमाता है :-

वो अमीर लश्कर थे। यह तो अव्वलीन और क़दीम तरीन तारीखों है बाद के इतिहासकारों से हाफ़िज़ इब्ने कसीर (वफ़ात 774 हि.) का जो मक़ाम है वो मुहताजे बयान नहीं उन्होंने

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

“गवाही उन्हीं लोगों की मोतबर है जिनको इस बात का ज़ाती इल्म हो।” (ज़ुख़रुफ़ 86)

जाओ मैं किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता वह कहने लगे शायद आपको ये बात नगवार गुज़रती हो कि यह मआमला आपके अलावा किसी और के हाथ में रहे अगर ऐसा है तो कयादत हम आपके सुपुर्द किए देते हैं। हुसैन रज़ि. के भाई मुहम्मद बिन हनफ़ीया ने कहा तुम जिस चीज़ पर क़िताल व ज़िदाल कर रहे हो मैं सिर से उसको जाईज़ ही नहीं समझता। मुझे किसी के पीछे लगने या लोगों को अपने पीछे लगाने की ज़रूरत ही क्या है ? वह कहने लगे आप इससे पहले अपने वालिद के साथ मिल कर जो जंग कर चुके हैं। उन्होंने फरमाया : तुम पहले मेरे बाप जैसा आदमी और उन्होंने जिस से जंग की उन जैसे अफ़राद ला कर दिखाओ उसके बाद भी तुम्हारे साथ मिल कर जंग कर लूँगा, वह कहने लगे आप अपने साहबज़ादो अबूक़ासिम और क़ासिम ही को हमारे हवाले कर दें उन्होंने फरमाया मैं उनको अगर इस तरह हुक्म दूँ तो मैं ख़ूद न तुम्हारे साथ इस काम में शरीक हो जाऊँ वह कहने लगे : अच्छा आप सिर्फ़ हमारे साथ चल कर लोगों को आमादा-ए-क़त्ल कर दें उन्होंने फरमाया : सुब्हानअल्लाह ! जिसको मैं ख़ूद नापसंद करता हूँ और उससे बचा हूँ लोगों को उसका हुक्म कैसे दूँ ? अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं अल्लाह के मआनले में उसके बन्दों का ख़ैरख़वाह नहीं, बदख़वाह होऊँगा वह कहने लगे हम फिर आपको मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा मैं उस वक्त भी लोगों से कहूँगा कि अल्लाह से डरो और मख़लूक़ की रज़ा के खातिर ख़ालिफ़ को नाराज़ न करो।” (अलबिदाया वन्नहाया 8/233)

इसकी पूरी तफ़सील अलबिदाया वन्नहाया में देखी जा सकती है।

गज़वा कुस्तुनतुनिया की सिपहसालारी

एक तारीखी हवाले की वज़ाहत

गज़वा कुस्तुनतुनिया के बारे में सहीह बुख़ारी की जो रिवायत ज़ेरे बहस आ चुकी है जिसमें यह बशारत दी गई है कि इस गज़वे में शरीक होने वाले अफ़राद मग़फ़ूर हैं तमाम क़दीम तारीख की किताबें इस बात पर मुत्तफ़िक् हैं कि इस गज़वे के अमीरे लश्कर यज़ीद बिन माविया थे इस सिलसिले में सबसे पहले मुसुनद एहमद की एक रिवायत है जिसमें साफ़ वज़ाहत है कि :-

((ان يزيد بن معاوية كان اميراً على الجيش الذي غزا فيه ابو ايوب))

“उस लश्करे कुस्तुनतुनिया के अमीर जिसमें सय्यदना अबू अय्यूब रज़ि. भी शरीक थे यज़ीद बिन माविया रज़ि. थे।” (मुसुनद एहमद 5/416)

इस तरह क़दीम तारीखों मुसलन इब्ने सअद (वफ़ात 230 हि.) की तबक़ातुल कुबरा, इब्ने ज़रीर तबरी (वफ़ात 310 हि.) की तारीखुलउमाम वलममलूक 5/232 और खलीफ़ बिन ख़ायात 1/192 (वफ़ात 240) की तारीख में बसिलसिला ज़ेरे बहस गज़वा कुस्तुनतुनिया यज़ीद बिन माविया के सामिल होने का ज़िक्र इस अंदाज़ ही से आया है कि

तारीख की मशहूर किताब अलबिदाया वन्नहाया के कई मुकामात पर इसकी सराहत की है। 8/59 पर मुसनद एहमद की उपर जिक्रकी गई रिवायत भी नक़ल की है और स. 58 में है कि सय्यदना अबू अय्यूब रज़ि. की वसियत के मुताबिक़ उनकी नमाज़े जनाज़ा यज़ीद ने पढ़ाई।

इसी जिल्द के सफा 151 पर लिखा है कि हुसैन रज़ि. भी उस लश्कर में मौजूद थे।

((وكان جيش يزيد بن معاوية واليه اوصى وهو الذي صلى عليه))

और सफा 229 में यज़ीद के हालात में लिखा है कि

((وقد كان في الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد))

इसी तरह इब्ने अब्दुल बर्र (वफात 463) कि किताब अलइस्तिआबु फी मारिफतिल असहाबे 1/157 इमाम सोहीली (वफात 501 हि.) की उपर सैयदुल अम्म (शरह सीरत इब्ने हशशाम 2/246) हाफिज़ इब्ने हजर की किताब अलइसाबतु फी तमीज़ी स्सहाबते 2/90 में इसी हक़ीक़त को बताया गया है। इसके अलावा शरह बुखारी फतहुलबारी 2/102 (तबअल मतबअ तुस्सलफिया) और उमदतुल कारी में भी हदीस "يغزون مدينة قيصر" की शरह करते हुए यही कुछ लिखा गया है।

हदीस व तारीख के इन तमाम हवालों से यह बात पाया सबूत को पहुँच जाती है कि जिस लश्कर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "वो (लश्कर) बख़्शा हुआ" फरमाया है उसके अमीर यज़ीद बिन माविया रज़ि. ही थे।

इस तारीखी हक़ीक़त के बरअक्स बआज़ लोग यज़ीद को इस शरफ से महरूम करने के लिए कहते हैं कि जेरे बहस लश्कर के अमीर सुफियान बिन औफ थे यज़ीद न थे। लेकिन तारीखी दलाईल इस राय की रद्द करते हैं। जैसा कि उपर जिक्र की गई इबारतों से वाज़ेह है गालिबन ऐसे लोगों के सामने इब्ने असीर (वफात 630 हि.) की अलकामिल और इब्ने खुलदून (वफात 808 हि.) की तारीख है, हालांकि इनके बयानात से भी उनकी राय ताईद नहीं होती। इब्ने असीर इस सिलसिले में लिखते हैं :-

"मआविया रज़ि. ने कुस्तुनतुनिया की तरफ कसीर फौज रवाना की सुफियान बिन औफ को उसका अमीर मुकर्रर किया और अपने लड़के यज़ीद को भी फौज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ लश्कर वहाँ पहुँचा और खबर आई कि वह मुसिबतों से दो चार हो गया है। इस पर यज़ीद की ख्वाहिश के मुताबिक़ बड़े लश्कर का इज़ाफा किया जिसमें सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ि., सय्यदना इब्ने उमर रज़ि., अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि., सय्यदना अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. वगैरह बहुत से लोग थे।" (मुलखसन अज़ तारीख इब्ने असीर 3/227)

तारीख इब्ने खुलदून (3/9 बैरुत) में भी (गालिबन) इसीसे माखूज़ तक्ररीबन ऐसा ही "चोर पर अल्लाह की लअनत कि एक अन्डे पर अपना हाथ कटवा देता है।"

फरमाया :-

दरज है।

अव्वलन : यह दोनों कितने बाद की है जबकि कदीम तारीखों में (जो बुनियादी माखूज़ हैं) यज़ीद ही को लश्कर का सिपहसालार बताया गया है जैसा कि पहले सारे हवाले दरज किए जा चुके हैं।

दूसरा : इब्ने असीर और इब्ने खुलदून की बयान की गई तफसील को अगर मुवररखीन (इतिहासकार) की तसरीहात, जो उपर गुजर चुकी है, कि रोशनी में देखा जाए तो उसमें सिर्फ इतना इज़ाफा मिलता है कि यज़ीद से पहले एक लश्कर सुफियान बिन औफ की कयादत में भेजा गया था। लेकिन वह लश्कर कोई कारकरदगी न पैश कर सका, जिसके बाद यज़ीद की सिपहसालारी में वह लश्कर भेजा गया जिसने वहाँ जा कर जिहाद किया और यँ यज़ीदी लश्कर ही गज़वह—ए—कुस्तुनतुनिया का अव्वलीन गाज़ी और बशरते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसदाक़ करार पाया। तमाम मुवररखीन का यज़ीद ही को उस लश्करे कुस्तुनतुनिया का सिपहसालार करार देना बिल्कुल सहीह है और इब्ने असीर और इब्ने खुलदून की तफसील भी इसके खिलाफ नहीं गौया उसमें इस बात का इज़ाफा ज़रूर है, ताहम इस इज़ाफे से यज़ीद को इस शरफ से महरूम करने की कोशिश ग़ैर सहीह और बेबुनियाद है। यह बात खूद इब्ने असीर के अपने ज़हन में भी नहीं थी जिसका सुबूत यह है कि उन्होंने अपनी किताब उसदुलगाबति में यज़ीद ही को लश्करे कुस्तुनतुनिया का सिपहसालार लिखा है। देखो उसदुलगाबति 2/96 तर्जुमा अबू अय्यूब अन्सारी मतबूआ दारुशशअब बहवाला माहे मुहर्रम और मौजूदा मुसलमान, स 54।

यज़ीद पर लअनत भेजने का मसअला

इस मसअले के बाबत शेखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रह. फरमाते हैं :-

"रहा सवाल यज़ीद पर लअनत करने का तो वाक़्या यह है कि यज़ीद भी बहुत से दूसरे बादशहों और खुलफा जैसा ही है बल्कि कई हुक्मरानों से वह अच्छा था वह इराक़ के अमीर मुख्तार बिन अबी ओबैदुल अरसक़फी से कहीं अच्छा था। जिसने सय्यदना हुसैन रज़ि. की हिमायत का अलम बुलंद किया, क़ातिलों से इत्तिक़ाम लिया, मगर साथ साथ दावा किया कि जिब्रईल अलै. उसके पास आते हैं। इसी तरह यज़ीद हज्जाज बिन यूसुफ से अच्छा था, जो बिलानिज़ाअ यज़ीद से कहीं ज़्यादा ज़ालिम था और उस जैसे दूसरे सलातीन व खुलफा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यह कहा जा सकता है कि वह फासिक़ थे।" (मिन्हारसुन्नह बहवाला माहे मुहर्रम और मौजूदा मुसलमान, स. 71)

लअनत के बारे में मसअला शरईया

लेकिन किसी फासिक़ को मुअय्यन करके लअनत करना सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद नहीं अलबत्ता आम लअनत वारिद है, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده))

“चौर पर अल्लाह की लअनत कि एक अन्डे पर अपना हाथ कटवा देता है।”

((لعن الله من احدث حدثاً أو اوى محدثاً))

“जो बिदअत निकाले या बिदअती को पनाह दे उस पर अल्लाह की लअनत।”

या मसलन सहीह बुखारी में है कि एक शख्स शराब पीता था और बार बार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकड़ कर आता था यहाँ तक कि जब कई फेरे हो चुके तो एक शख्स ने कहा ((لعنة الله ما اكثر ما يوتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم)) इस पर अल्लाह की लअनत कि बार बार पकड़ कर दरबारे रिसालत में पैश किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

ने सुना तो फरमाया “इसे लअनत न करो क्योंकि यह अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से मुहब्बत करता है।” हालांकि आम तौर पर आपने शराबियों पर लअनत भेजी है इससे साबित हुआ कि आम तौर पर किसी गिरोह पर लअनत भेजना जाईज है, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत रखने वाले किसी मुअय्यन शख्स पर लअनत करना जाईज नहीं, और मअलूम है कि हर मोमिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मुहब्बत रखता है।

यज़ीद पर लअनत से पहले दो चीज़ों का इसबात ज़रूरी है

सहीह हदीसों से साबित है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा बिलआखिर दोज़ख से निजात पाएगा। जो लोग यज़ीद की लअनत पर ज़ोर देते हैं उन्हें दो बातें साबित करनी चाहिए।

यह कि यज़ीद ऐसे फासिकों और ज़ालिमों में से था जिन पर लअनत करना मुबाह है, और अपनी इस हालत पर मौत तक रहा दूसरे यह कि ऐसे ज़ालिमों और फासिकों में से किसी एक को मुअय्यन करके लअनत करना रवा है। रही आयत ﴿لَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ “अल्लाह की लअनत है ज़ालिमों पर” तो यह आम है जैसे कि बाक़ी तमाम आयते वईद आम हैं और फिर इन आयतों से क्या साबित होता है? यही कि गुनाह लअनत और अज़ाब को वाजिब करने वाला है? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे असबाब अगर लअनत व अज़ाब के असबाब को दूर कर देते हैं, मसलन गुनहगार ने सच्चे दिल से तौबा कर ली या उससे ऐसे हसनात बन आएँ जो बुराइयों को मिटा देते हैं, या ऐसी मुसिबत पैश आए जो गुनाहगार का कफ़फारा कर देते हैं। कौन शख्स दावा कर सकता है कि यज़ीद और उस जैसे बादशाहों ने तौबा नहीं की या बुराइयों को दूर करने वाले हसनात अज़ाम न दिए, या गुनाहों का कफ़फारा अदा नहीं किया या यह कि अल्लाह किसी हाल में भी उन्हें नहीं बख्शेगा, हालांकि वह खूद फरमाता है: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“बैशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा उसके सिवा जिसको चाहेगा माफ कर देगा।” (निसा 48)

फिर सहीह बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि.से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

“सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर जो फौज लड़ेगी वह मफूर होगी” और मालूम है कि इस्लाम में सबसे पहले जिस फौज ने कुस्तुनतुनिया पर लड़ाई की उसका सिपहसालार यज़ीद ही था कहा जा सकता है, कि यज़ीद ने यह हदीस सुन कर ही फौजकशी की होगी बहुत मुम्किन हो कि यह भी सहीह हो लेकिन इससे उस फेल पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती।

लअनत का दरवाज़ा खोलने के नताईज

फिर हम खूब जानते हैं कि अक्सर मुसलमान किसी न किसी तरह जुल्म से ज़रूर आलूदा होते हैं। अगर लअनत का दरवाज़ा इस तरह खोल दिया जाए तो मुसलमानों के अक्सर मुरदे लअनत का शिकार हो जाएँगे, हालांकि अल्लाह तआला ने मुरदा के हक में सलात व दुआ का हुक्म दिया है न कि लअनत करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :-

((لا تسبوا الأموات فانهم افضوا الى ماقدموا))

“मुरदों को गालियाँ मत दो क्योंकि वह अपने किए को पहुँच गए।”

बल्कि जब लोगों ने अबू जहल जैसे कुफ़फार को गालियाँ देनी शुरू की तो उन्हें मना किया और फरमाया :- ((لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احياءنا))

“हमारे मुरदों को गालियाँ मत दो क्योंकि इससे हमारे ज़िंदों को तकलीफ होती है।”

यह इसलिए कि कुदरती तौर पर उनके मुसलमान रिश्तेदार बुरा मानते थे इमाम एहमद बिन हम्बल से उनके बेटे सालेह ने कहा “ألا تلعن يزيد؟” “आप यज़ीद पर लअनत नहीं करते?”

इमाम साहब ने जवाब दिया “متى رأت اباك يلعن احداً” “तूने अपने बाप को किसी पर भी लअनत करते देखा था?”

आयत

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾

“क्या तुममें से दूर है कि अगर जिहाद से पीठ फेरो तो लगे मुल्क में फसाद करने और अपने रिश्ते तोड़ने यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लअनत की और उनको बहरा और उनकी आँखों को अधां कर दिया है।” (मुम्मद 22, 23)

से खास यज़ीद की लअनत पर इसरार करना खिलाफे इसाफ है क्योंकि यह आयत आम है और इसकी वईद उन तमाम लोगों को शामिल है जो ऐसे काम करते हों। जिसका इस आयत में ज़िक्र है। यह काम सिर्फ यज़ीद ही ने नहीं किए बहुत से हाशमी अब्बासी अलवी भी उनके करने वाले हुए हैं। अगर इस आयत की रु से उन सब पर लअनत करना ज़रूरी होतो अक्सर

मुसलमानों पर लअनत हो जाएगी क्योंकि यह काम बहुत आम है मगर यह फतवा कोई भी नहीं दे सकता ।

यज़ीद को रहिमहुल्लाह कहना कैसा है ?

- + इमाम गज़ाली रह. से सवाल किया गया कि उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो यज़ीद पर लअनत करता है ?
- + क्या उस पर फिरक का हुक्म लगाया जा सकता है ?
- + क्या उस पर लअनत का जवाज़ है ?
- + क्या यज़ीद फीलवाक्या सय्यदना हुसैन रज़ि. को कत्ल करने का इरादा रखता था या उसका मक़सद सिर्फ अपनी मदाफ़िअत था ?
- + उसको रह. कहना बेहतर है या उस से खामोशी अफ़ज़ल है ?
- * इमाम गज़ाली रह. ने जवाब दिया :-

मुसलमानों पर लअनत करने का क़तअन जवाज़ नहीं जो शख्स किसी मुसलमान पर लअनत करता है वह ख़ूद मलऊन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है - मुसलमान लअनत करने वाला नहीं होता इसके अलावा हमें तो हमारी शरीअते इस्लामिया ने जानवरों तक पर लअनत करने से रोका है तो फिर किसी मुसलमान पर किस तरह जाइज़ हो जाएगा ? जब कि एक मुसलमान की हुरमते (इज़्जत) हुरमत काबा से ज़्यादा है जैसा कि हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र है ।

यज़ीद का इस्लाम सहीह तौर से साबित है जहाँ तक सय्यदना हुसैन रज़ि. के वाक्ये का तअल्लुक है इस बारे में कोई सहीह सबूत मौजूद नहीं कि यज़ीद के मुत्तअल्लिक यह बातें पाए सुबूत ही को नहीं पहुँचती तो फिर उससे बदगुमानी क्योंकि जाइज़ होगी ? जबकि किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना हराम है अल्लाह तआला ने फरमाया है कि :-

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

“तुम बहुत सारी बदगुमानी से बचो क्योंकि बअज़ दफ़ा बदगुमानी भी गुनाह के दायरे में आ जाती है ।” (अलहुजरात 12)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों के खून माल इज़्जत व आबरु और उसके साथ बदगुमानी करने को हराम करार दिया है ।

जिस शख्स का ख्याल है कि यज़ीद ने सय्यदना हुसैन रज़ि. के कत्ल का हुक्म दिया, उनके कत्ल को पसंद किया वह परले दरजे का अहमक है क्या यह वाक्या नहीं कि ऐसा गुमान करने वाले के दौर में कितने ही अकाबिर, वज़ीर और सलातीन का कत्ल किया गया, लेकिन वह इस बात का पता चलाने से कासिर रहा कि किन लोगों ने उनका कत्ल किया और किन लोगों ने उस कत्ल को पसंद या नपसंद किया, हालांकि उनका कत्ल उसके बिल्कुल कुर्ब में और उसके ज़माने में हुआ, और उसने उनका खुद मुशाहिदा किया फिर उस कत्ल के बारे में (यक़ीनी और हतमी तौर पर) क्या कहा जा सकता है जो दूर दारज़ के इलाक़े में हो और फ

जिस पर चार सौ साल (इमाम गज़ाली के दौर तक की) मुददत भी गुज़र चुकी है ।

अलावा अज़ इस दर्दनाक वाक्ये पर तअस्सुब व ग़िरोह बन्दी की चादर चढ़ गई हैं और रिवायतों के अम्बार लगा दिए गये हैं जिनकी बिना पर अब अरल हक़ीक़त का सुराग़ लगाना नामुम्किन है । जब वाक्या यह है कि हक़ीक़त की नक़ाब कुशाई मुकम्मल ही नहीं तो हर मुसलमान के साथ हुसने ज़न रखना ज़रूरी है । फिर अहले हक़ (अहले सुन्नत) का मज़हब तो यह है कि किसी मुसलमान के बारे में यह साबित भी हो जाए कि उसने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तब भी वह क़ातिल मुसलमान काफ़िर नहीं होगा । इसलिए कि जुर्म कत्ल कुफ़्र नहीं एक गुनाह है । फिर भी वाक्या यह है कि मुसलमान क़ातिल मरने से पहले पहले अक्सर तौबा ही कर लेता है, और शरीअत का हुक्म तो यह है कि अगर कोई काफ़िर भी कुफ़्र करे तो उस पर लअनत की इज़ाज़त नहीं, फिर यह लअनत ऐसे मुसलमान के लिए क्योंकि जाइज़ होगी जिसने मरने से पहले जुर्म कत्ल से तौबा कर ली हो आखिर किसी के पास इस बात की क्या दलील है ? कि सय्यदना हुसैन रज़ि. के क़ातिल को तौबा की तौफीक़ नसीब नहीं हुई और तौबा किये बग़ैर ही मर गया जबकि अल्लाह का दर तौबा हर वक्त खुला है :-

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾

“और वही है जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है ।” (शूरा 25)

बहर हाल किसी लिहाज़ से भी ऐसे मुसलमान पर लअनत करना जाइज़ नहीं है जो मर चुका हो जो शख्स किसी मरे हुए मुसलमान पर लअनत करेगा वो ख़ूद फासिक़ है । और अल्लाह का फरमान है : अगर बिलफ़र्ज़ लअनत करना जाइज़ भी हो लेकिन वह लअनत के बजाए खामोशी इख़्तियार कर रखे तो ऐसा शख्स बिलइजमाअ गुनाहगार न होगा बल्कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िदंगी में एक मर्तबा भी इब्लीस पर लअनत नहीं भेजता तो क़यामत के रोज़ उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि तूने इब्लीस पर लअनत क्यों नहीं की ?

अलबत्ता अगर किसी ने किसी मुसलमान पर लअनत की तो क़यामत के रोज़ उससे यह ज़रूर पूछा जाएगा कि तूने उस पर लअन व तअन क्यों की थी ? और तुझे यह क्यों कर मालूम हो गया था कि वह मलऊन है और रांदा-ए-दरगाह है ? जब किसी के कुफ़्र व ईमान का मसअला शैब की बातों से है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता हों शरीअत के ज़रीए हमें यह ज़रूर मालूम हुआ है कि जो शख्स कुफ़्र की हालत में मरे वह मलऊन है ।

जहाँ तक यज़ीद को रहमुल्लाह कहने का ताल्लुक है तो यह न सिर्फ़ जाइज़ और मुस्तहब है । बल्कि वह अज़ख़ूद हमारी उन दुआओं में शामिल है जो हम तमाम मुसलमानों की मफ़िरत

के लिए करते हैं कि ((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)) “या अल्लाह तमाम मोमिन मदों और औरतों को बख़्श दे ।” इसलिए कि यज़ीद भी यक़ीनन मोमिन था ।

इमाम और अलैहिस्सलाम

इस मसअलो के बाबत नामवर मुहक़िक मौलाना हाफ़िज़ सलाहुद्दीन हफ़िज़हुल्लाह तहरीर

रमाते हैं :-

अहले सुन्नत की अक्सरियत सय्यदना हुसैन रज़ि. को बिला सोचे समझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती है हालांकि सय्यदना हुसैन के साथ इमाम का लफ़्ज़ बोलना और इसी तरह रज़ि. के बजाए अलैहिस्सलाम कहना भी शीर्ष्यत है। हम तमाम सहाबा किराम के साथ इज़्ज़त व एहताराम के लिए सय्यदना इस्तेमाल करते हैं। सय्यदना अबूबकर रज़ि., सय्यदना उमर रज़ि., सय्यदना उस्मान रज़ि. सय्यदना अली रज़ि. वगैरहम कभी इमाम अबूबकर इमाम उमर इमाम उस्मान इमाम अली नहीं बोलते। इसी तरह हम सहाबा किराम के अस्माए गिरामी के बाद रज़ि. लिखते और बोलते हैं और कभी सय्यदना अबूबकर अलैहिस्सलाम या सय्यदना उमर अलैहिस्सलाम या सय्यदना उस्मान अलैहिस्सलाम नहीं बोलते हैं, लेकिन सय्यदना हुसैन रज़ि. के साथ रज़ि. के बजाए अलैहिस्सलाम बोलते हैं। कभी इस पर गौर किया कि ऐसा क्यों है? दरअसल शीओ का वह असर है जो गैर शुऊरी तौर पर हमारे अंदर दाखिल हो गया है इसलिए याद रखे कि चूकिं शीओ का एक बुनियादी मसअला इमामत का भी है और इमाम उनके नज़दीक अम्बिया की तरह मिनजानिब अल्लाह नामज़द और मासूम होता है सय्यदना हुसैन रज़ि. भी उनके बारह इमामों में से एक इमाम हैं इसलिए इमाम का लफ़्ज़ बोलते हैं, और इसी तरह उनके लिए अलैहिस्सलाम लिखते और बोलते हैं हमारे नज़दीक वह एक सहाबी रसूल हैं। इमाम मासूम नहीं न हम शीओ के इमाम मासूमों के कायल ही हैं इसलिए हमें उन्हें दीगर साहबा किराम की तरह सय्यदना हुसैन रज़ि. लिखना और बोलना चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कि यह शीओ के मअलूम अक्राइद और मखसूस तकनीक की गम्माज़ हैं।

रही बात कि उलमा व फिक्हा के लिए इमाम का लफ़्ज़, इस्तेमाल इस मअनी में होता है कि वह हदीस व फिक्ह के माहिर थे सय्यदना हुसैन रज़ि. के लिए भी इस मअनी में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें न सिर्फ यह कि कोई हर्ज नहीं बल्कि इस मअनी में वह बाद के आइम्मा से ज्यादा इस लफ़्ज़ के मुस्तहिक हैं, लेकिन सय्यदना हुसैन रज़ि. को इस मअनी में इमाम नहीं कहा जाता। अगर ऐसा होता तो सय्यदना अबूबकर रज़ि. व दीगर सहाबा किराम को भी इमाम लिखा और बोला जाता कि वह उलूमे कुरआन व हदीस सय्यदना के हुसैन रज़ि. से ज्यादा जानकार थे। जब किसी बड़े से बड़े सहाबी के लिए इमाम का लफ़्ज़ नहीं बोला जाता तो इसका साफ मअनी यह है कि सिर्फ हुसैन रज़ि. के साथ इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल उन मआनो में क़तअन नहीं जिनमें इसका इस्तेमाल आम है बल्कि ह शीअयत के मखसूस अक्राइद का गम्माज़ है इसलिए अहले सुन्नत को इससे बचना चाहिए।

लअनत, मातम और ताज़िया के ईजाद की तारीख

लअनत का आगाज़

351 हि. में मुईज़ुददौला (अहमद बिन बोया दयमी) ने जामा मस्जिद बगदाद पर
 ((لَعَنَ اللَّهُ معاوية بن سفيان و من غصب فاطمة فد كاً و من منع من ذلك الحسن و علي بن الحسين))
 نفى ابا ذر من اخرج العباس عن الشورى))

“अल्लाह तआला माविया बिन सुफियान और सय्यदा फातिमा रज़ि. की फदक की जायजाद हज़्म करने वालों और सय्यदना हसन को रोज़ा-ए-नबवी में दफन से रोकने वालों सय्यदना अबूज़र रज़ि. को जिला वतन करने वालों सय्यदना अब्बास रज़ि. को शुरा से खारिज करने वालों पर लअनत हो।” (तारीख इब्ने असीर 8/179)

मातम और ताज़िया दारी की ईजाद

352 हि. के शुरु होते ही इब्ने बोया जिसका उपर जिक्र हुआ ने हुक्म दिया कि 10 मुहर्रमुल हराम को सय्यदना हुसैन रज़ि. की शाहदत के ग़म में दूकाने बंद कर दी जाएँ, खरीद व फरोख्त बिल्कुल मौकूफ रहे, शहर व देहात के लोग मातमी लिबास पहने और ऐलानिया नौहा करें। औरतें अपने बाल खोले हुए चेहरों को स्याह किए हुए कपड़ों को फड़ते हुए सड़कों और बज़ारों में मरसिया पढ़ती मुहँ नौचती और छातियाँ पीटती हुई निकलें। शीओ ने इस हुक्म पर बख़ूशी अमल किया मगर अहले सुन्नत दम बख़ूद और खामोश रहे क्योंकि शीओ की हुक्मत थी अइदा साल 353 हि. में फिर इसीका हुक्म दिया गया, और सुन्नियों को भी उस पर अमल का हुक्म दिया गया अहले सुन्नत इस ज़िन्नत को बरदास्त नहीं कर सके चुनार्वे शीओ और सुन्नियों में फसाद बरपा हुआ बहुत बड़ी खूरेजी हुई। इसके बाद शीओ ने हर साल इस रस्म को ज़ेरे अमल लाना शुरु कर दिया और आज तक इस का रिवाज़ हिन्दूस्तान में हम देख रहे हैं। अजीब बात यह है कि हिन्दूस्तान में अक्सर सुन्नी लोग भी ताज़िया बनाते हैं।

तबर्बाज़ी

(लअन व तअन करना)

मुहर्रम के इब्तिदाई दस दिनों में खास कर सहाबा किराम रज़ि. पर तबर्बाज़ी की जाती है जिसके बगैर शीओ की महफिल मुकम्मल नहीं होती। खुसूसन माविया बिन सूफियान सय्यदना अम्र बिन आस, सय्यदना जाफर बिन शुअबा, यज़ीद बिन माविया रिज्वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को गालीयाँ दी जाती हैं और सय्यदना अबूबकर रज़ि., सय्यदना उमर रज़ि., सय्यदना उस्मान रज़ि. उम्मुलमोमिनीन आयशा सिददीका रज़ि. पर बोहतान लगाए जाते हैं शीओ का कहना है कि सय्यदना हुसैन रज़ि. को इब्ने जियाद ने यज़ीद के हुक्म से क़त्ल किया था, और यज़ीद को अमीर माविया रज़ि. ने अपना वली अहद बनाया था और अपनी वफात के

बाद खलीफा बनाने के लिए बैअत ली थी, और सय्यदना अबू बकर रज़ि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बावजूद सय्यदना अली रज़ि. को खलीफा नहीं बनाया था और खूद खलीफा हो गए, और सय्यदना अबू बकर रज़ि. ने सय्यदना उमर रज़ि. को अपने बाद खलीफा बनया था और सय्यदना उमर रज़ि. ने माविया को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था, सय्यदना उस्मान रज़ि. ने उन्हें उस अहद पर बरकरार रखा लिहाज़ा यह सब लअन तअन के मुस्तहक हैं। यही सबब है कि यह लोग अएहले बैत का बदला लेने के ख्याल से सहाबा किराम को गालियों देते हैं, और उन पर लअन तअन करते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर और आपके सहाबा तमाम अम्बिया अलै. के सहाबा से अफ़ज़ल हैं। किसी सहाबी के बारे में ज़बान खोलना और रिसर्च के उन्वान पर लअन तअन नुक्ता घीनी करना हलाकत व तबाही की दअवत देना है। सहाबा किराम के मक़ाम व मर्तबे के बारे में आप पिछले सफ़ों पर पढ़ आये हैं।

हिन्दूस्तान में पहला ताज़िया

हिन्दूस्तान ताज़ियादारी की मौजूदा रस्मे बंद से 800 साल तक पाक रहा। 801 हि. में तैमूरलंग ने जो मज़हबन शीआ था, इस मलऊन रस्म को ईजाद किया और 962 हि. में हुमायूँ बादशाह बैरम खॉ को भेज कर 46 तौला ज़मरुद का ताज़िया हिन्दूस्तान में मंगवाया यह है पहला ताज़िया जो हिन्दूस्तान में आया। (रेहाने मुहम्मदी स. 24)

इसके बाद आसिफुददौला ने 1213 हि. में लखनऊ में इमाम बाज़्र बनवाया फिर मुहम्मद अली शाह अमजद अली शाह इमाम बाड़े बनवाए, फिर वाजिद अली शाह ने मरसिया ख्वानी को रिवाज व तरक्की दी। चुनाचें ईरान अफगानिस्तान के बाद हिन्दूस्तान में जुनूबी हिन्द और लखनऊ वगैरा इन बिदआत का मर्कज़ ठहरा और लखनऊ के शीआ बादशाहों ने ईरान की जानशीनी का पूरा हक़ अदा कर दिया। अब्दुल्लाह बिन सबा नामी यहूदी ने तरह तरह की साज़िशों के ज़रीए इस्लाम की साफ़ शफ़ाफ़ तसव्वूर को दाग़दार कर दिया। सय्यदना उस्मान रज़ि. व सय्यदना अली रज़ि. और नवास ए रसूल सय्यदना हुसैन रज़ि. और जंगे जमल व सिफ्फीन के शहीदों के खून से यहूदियत की हार व दुश्मनी की आग को ठंडा किया।

ताज़िया दारी की तरदीद

ताज़िया दारी शिर्क व बुत परस्ती के ज़िम्न में आती है आखिर बुत परस्ती और ताज़ियादारी में फर्क क्या है ?

1. ताज़ियों में रुहे हुसैन को मौजूद और उन्हें आलिमुल ग़ैब समझा जाता है, हालांकि किसी बुज़ुर्ग की रुह को हाज़िर व नाज़िर जनना और आलिमुलग़ैब समझना शिर्क व कुफ़्र है चुनाचें हनफी मज़हब की मोतबर किताब फतावा बज़ारिया में लिखा है कि :-

((من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر))

“जो शख्स यह एतकाद रखे कि बुज़ुर्गों की रुहें हर जगह हाज़िर व नाज़िर है और वह इल्म

रखाती हैं वह काफिर है।”

2. ताज़िया परस्त ताज़ियों के सामने सर फोड़ते हैं जो सजदा ही के ज़िम्न में आता है और गैरुल्लाह को सजदा करना चाहे वह इबादतन हो या ताज़ीमन हो सरीह शिर्क है, चुनाचें हनफी किताबों में भी गैरुल्लाह को सजदा करने को कुफ़्र से ताबीर किया गया है। शम्सुल अइम्म सरखसी रह. कहते हैं :- ((ان كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر))

“गैरुल्लाह को तअज़ीमी तौर पर सजदा करना कुफ़्र है।”

और अल्लामा क़हस्तानी हनफी फरमाते हैं :- ((يكفر بالسجدة مطلقاً))

“गैरुल्लाह को सजदा करने वाला मुतलकन काफिर है चाहे इबादतन हो या तअज़ीमन।”

3. ताज़िया परस्त मरसिया ख्वानी व सीना कोबी करते हैं मरसिया ख्वानी वगैरा खूद गैर इस्लामी अमल है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।

((نهی رسول الله ﷺ عن المراثی)) (इब्ने माज़ा 1/507)

4. ताज़िया परस्त ताज़ियों से अपनी मुरादें और हाज़ते तलब करते हैं जो सरहन शिर्क हैं।

5. ताज़िया परस्त सय्यदना हुसैन रज़ि. को नक़ली क़ब्र बनाते हैं और उसकी ज़ियारत को कारे सवाब समझते हैं हालांकि हदीस में आता है ((من زار قبراً بلا مقبور كانما عبد الصنم)) “जिसने ऐसी खाली क़ब्र की ज़ियारत की जिसमें कोई मय्यत न होतो गौया उसने बुत की पूजा की।” (तबरानी व बैहक़ी)

हासिल कलाम ताज़िया हज़ारो बुराईयों का सरचश्मा है जिससे घमंड, नहूसत, परस्ती, हिमाक़त, जहालत, शरो फसाद नुमायां हैं, और खूद सय्यदना हुसैन की तौहीन है। ताज़िया बनाना उसका सजदा व तवाफ करना रुह हुसैन का अक़ीदा रखना मातम व सीना कोबी वगैरा कबीरा गुनाह है। ज़रा इसांफ कीजिए कि अगर कुफ़ार पत्थर की मूर्ती तराश कर पूजें तो वो मुशिरक कहलाएँ और अगर मुसलमान काग़ज़ व बांस की कम्चीयो का ढाचा बना कर उसके सामने अपना सर टेकें तो खालिस मुसलमान हैं। मौलाना हाली रह., ने इसका मातम यूँ किया है :-

मज़ारो पर दिन रात नज़रें चढ़ें

शहीदो से जा जा कर मांगे दुआएँ

न तौहीद में कुछ खलल इससे आए

न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए

रहा शिर्क बाक़ी न वहम व गुर्मा में

वह बदल गया आके हिन्दूस्तान में

हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाज़ों

वह दौलत भी खो बैठा आखिर मुसलमानों

सय्यदना हुसैन रज़ि. की बरसी

मुहर्रम के इब्तिदाई दस दिनों में बिदअत व खुराफात व मुन्किरात और सय्यदना हुसैन रज़ि. की बरसी की बाबत मुफरिसरे कुरआन मौलाना अब्दुल माजीद दरयाबादी हनफी रह. अपने मखसूस अदांज़ में तहरीर फरमाते हैं कि :-

“नौजवानाने जन्नत के सरदार की बरसी इसी माह में हर जगह मनाई जाएगी लेकिन क्योंकर और किस तरह ? उसके सुर्ख सुर्ख खून की याद में नए नए सब्ज रंग के कपड़े रंग कर पहने जाएंगे। वह भूखा रह था उसकी भूख की याद में लजीज़ खाने खाए जाएंगे, और घर मजेदार हलवे और शीरमालों के हिस्से तकसीम होंगे। वह प्यास में तड़पा था उसकी प्यास को याद करके बर्फ और दुध डाल कर आला दरजे के शरबत तैयार होंगे, और उनके कई कई गिलास हलक में उतारे जाएंगे। उसने रातें रुकू व सजदों में क़याम व तिलावत में मुनाजात व ज़िक्र व फ़िक्र में बसर की थी और उसकी बरसी मनाने वाले मिटटी के चिराग बिजली की सिरीज लाईट गैस के हान्डे जला जला कर सारी रात जश्न कायम रखेंगे। उसके घर की मुअज़ज़ खातून मौसीकी का ज़िक्रही क्या शायद शायरी के करीब न गई थी उसके घराने की बांदी और कनीज़ होने पर फ़ख़्क करने वाली औरतें अपनी रातें खूशइलहानी की पूरी रिवायत के साथ सोज़ ख़वानियों के कलमात दिखाने में बसर कर देंगी। उसके कान में शायद सारी उम्र कभी बाजे की आवाज़ न पड़ी हो आज उसका नाम पर पूरे दस दिन हर हर गली कूचे ढोल ताशो के शोर से गूँज कर रहेगा। ताज़िये उठेंगे, अलम गश्त करेंगे, बुराक बनेंगी, मजलिसें बरपा होंगी, कहीं चाय तकसीम होंगी, कहीं शिरमाल बनेंगी, गर्ज़ पूरे दस दिन खूब दिल खोल कर जश्न रहेगा जो खाना कभी न खाए थे खाने में आएंगे, मंज़र कभी न देखे थे देखने में आएंगे, और ये सब कुछ कौन करेगा? आर्य नहीं, यहूदी नहीं, हिन्दू नहीं, पारसी नहीं, दुश्मन नहीं दोस्त गैर मुस्लिम। अपने को मुसलमान कहलवाने वाले और मुसलमानों में भी अपने आप को सुन्नी कहने वाले और अहले सुन्नत पर फ़ख़्क करने वाले लोग करेंगे, और अगर कोई इस सारे हंगामे ऐश व इशरत के खिलाफ़ ज़बान खोले तो वो मरदूद है, दुश्मने अहले बैत है, लामज़हब है, बेदीन है, वहाबी है, गुस्ताखे रसूल है और सबके अक्काईद को बिगाड़ने वाला है।” (हफ़्ता रोज़ा अलमिनार, फैशलाबाद, शुमार 6, तारीख 6 दिसम्बर 1978 ई.)

बिदआते मुहर्रम

बरेलवी मक्तबे फ़िक्र की नज़र में

माहे मुहर्रम में अपनाई जाने वाली बिदआत, ताज़िया दारी, मरसिया ख़वानी और काला लिबास पहनना वगैरा के बारे में बअज़ शीआ हज़रात अपने अख़बारात व रसाईल और मजालिस के ज़रीए नावाक़िफ़ सुन्नियों को यह बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मुख़ालफ़त करना सिर्फ़ वहाबी उलमा का काम है। वरना उलमा—ए—अहले सुन्नत के नज़दीक तो यह काम सहीह व दुरुस्त बल्कि कारे सवाब हैं। यह उनकी महज़ मुग़ालता देही है। और हकीक़त उसके बिल्कुल बरअक्स है। लिहाज़ा हम यहाँ सुन्नी उलमा और उनमें भी बरेलवी मक्तबे फ़िक्र के बानी और पेशवा शाह अहमद रज़ा ख़ॉ फ़ाज़िले बरेलवी की तसरीहात ज़िक्र किए देते हैं। ताकि उनका मुग़ालता और अस्ल हकीक़त ज़ाहिर जो जाए।

ताज़िया

मोसूफ़, शाह अहमद रज़ा ख़ॉ बरेलवी, अपने फ़तावा मोसूमा “इरफाने शरीअत” हिस्सा अक्वल, स. 15 पर फरमाते हैं :—

“ताज़िया आता देख कर इराज़ (मुहँ फेरे) व रुगरदानी करें। उसकी तरफ़ देखना ही न चाहिए।”

और स. 16 पर लिखते हैं :—

(मसअला) “मुहर्रम शरीफ़ में मरसिया ख़वानी में शिरक़त जाईज़ है या नहीं ?”

(जवाब) “नाजाईज़ है। वह मनाही व मुन्किरात से पुर होते हैं।”

और अपने फ़तावा मोसूमा “अहकामे शरीअत” हिस्सा अक्वल स. 89 पर लिखते हैं :—

“मुहर्रम में स्याह सब्ज़ कपड़े अलामत सौग है, और सौग हराम है।” आगे लिखते हैं :—

(मसअला) “क्या फरमाते हैं मसाईले ज़ैल (नीचे लिखे मसाईल) में :

1. बअज़ अहले सुन्नत वल जमाअत मुहर्रम के अशरे (दस दिन) में न तो रोटी पकाते हैं, न झाड़ू देते हैं, कहते हैं, बाद दफ़्न रोटी पकाई जाएगी।

2. उस दिन कपड़े नहीं उतारते।

3. माहे मुहर्रम में कोई शादी ब्याह नहीं करते।”

(अलजवाब) “तीनों बातें सौग हैं, और सौग हराम है।”

मोसूफ़ फ़ाज़िल बरेलवी की एक मुस्तक़िल तसनीफ़ “रिसला ताज़ियादारी” के नाम से बार बार छप कर शायी हो चुकी है, उसके स. 4 पर लिखते हैं :—

“गर्ज़ अक्वल अशरा मुहर्रमुल हराम कि अगली शरीअतों से इस शरीअत पाक तक निहायत बाबरक़त महल्ले इबादत ठहरा हुआ था। इन बेहूदा रस्मों ने जाहिलाना और फ़ासिक़ाना मेलो का ज़माना कर दिया, यह कुछ और उसके साथ वह कुछ, कि गौया ख़ूद साख़्ता तसवीरें जैसे शहीदों रिज्वानुल्लाहि अलैहिमत के जनाजे हैं। कुछ उतारा बाक़ी तोड़ा, और

दफन कर दिए। यह हर साल इज़ाअते माल के जुर्म में दो वबाले जुदागाना है। अब ताज़िया दारी इस तरीक़-ए-नामुर्ज़िया का नाम है, क़तअन बिदअत है और नाजाईज व हराम है।”

और रिसाले के स. 15 पर हस्ब ज़ैल सवाल व जवाब ज़िक्र है :-

सवाल : “ताज़िया बनाना और उस पर नज़्र व नियाज़ करना, अराईज व उम्मीद हाजत बराही लटकाना और बनियते बिदअते हसना उसको दाखिल हसनात जानना, कैसा गुनाह है?”

जवाब : अफआले मज़कूरा जिस तरह अवामे ज़माना में राईज हैं। बिदअत सइय्या व ममनू व नाजाईज हैं।”

और स. 11 पर लिखते हैं :

“ताज़िया पर चढ़ाया हुआ खाना, न खाना चाहिए, अगर नियाज़ दे कर चढ़ाएँ या चढ़ कर नियाज़ दें, तो भी उसके खाने से बचना चाहिए।”

ब्याह शादी

बअज अहले सुन्नत और खुसूसन बरेलवी हज़रात, माहे मुहर्रम में शादी ब्याह नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए फाज़िल बरेलवी का फतवा पैसे खिदमत है। चुनांचे “मलफूज़ाते आला हज़रत” हिस्सा अव्वल स. 46 पर यूँ लिखा है :-

अर्ज़ : “क्या मुहर्रम व सफर में निकाह करना मना है?”

इरशाद : “निकाह किसी महीने में मना नहीं। यह ग़लत मशहूर है।”

शिरकत

शीआ तो शीआ, आज कल तो सुन्नी भी ताज़िये बनाते और कलावे पहनते, शहादत नामे पढ़ पढ़ कर रोते और रुलाते हैं। और शीओं की मजलिस में शरीक होते, उनकी शीरनी खाते और मातमी जुलूसों में शिरकत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फाज़िल बरेलवी के रिसाले “ओआलिल इफादति फी ताज़ियतिल हिन्द व ब्यानिश्शहादति” में बअज इबरत के मुकामात हैं। चुनांचे एक सवाल के जवाब में लिखते हैं :

सवाल : मजलिस मरसिया ख्वानी अहले शीआ में, अहले सुन्नत व जमाअत को शरीक होना जाईज है या नहीं ?

अलजवाब : हराम है। हदीस में है : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :-

((من كثر سواد قوم فهو منهم))

“जो शख्स किसी क्रोम की तादाद बढ़ाने का सबब बना वह उन्हीं मेंसे है।” (कशफुलखिफा 2/360)

वह बदज़बान, नापाक लोग, अक्सर तबर्बा बक जाते हैं इस तरह कि सुनने वालों को खबर भी नहीं होती। और मुतावातर सुना गया है कि सुन्नियों को शरबत देते हैं। उसमें नजासत मिलाते हैं। और कुछ न हो तो वह रिवायाते मौजूआत बुरे कलमाते शनीआ, मातम हराम से

खाली नहीं होती, और यह देखेंगे, सुनेंगे, और मना न कर सकेंगे। ऐसी जगह जाना हराम है। अल्लाह तआला फरमाता हैं :- ﴿ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ مَعَ الْوُحُودِ الْغَالِبِينَ ﴾

“तो याद करने के बाद ऐसे ज़ालिम लोगों के पास मत बैठ।” (अनआम 68)

शाह वलीउल्लाह मुहदिदस देहलवी रह. फरमाते हैं :-

“ऐ बनी आदम तुमने इस्लाम को बदल डालने वाली बहुत सी रस्में अपना रखी हैं मसलन तुम दसवीं मुहर्रम को बातिल क्रिस्म के इज्तिमा करते हुए कई लोगों ने इस दिन को नौहा व मातम का दिन बना लिया है, हालांकि अल्लाह की मशियत से हादसे रोज़ाना रुनुमा होते ही रहते हैं। अगर सय्यदना हुसैन रज़ि. उस दिन मज़लूम शहीद के तौर पर क़त्ल किए गए। तो वह कौन सा दिन है, जिसमें कोई न कोई अल्लाह का नेक बन्दा फौत नहीं हुआ लेकिन तअज्जुब की बात है, कि इन्होंने इस मज़लूमाना वाक्या ए कर्बला को खेल कूद की चीज़ बना लिया तुमने मातम को ईद के त्यौहार की तरह बना लिया गौया इस दिन ज़्यादा खाना पीना फर्ज़ है, और नमाज़ों का तुम्हें कोई ख्याल नहीं जो फर्ज़ है उनको तुमने ज़ाया कर दिया। यह लोग ही मन घड़त कामों में मशगूल रहते हैं, नमाज़ों की तौफीक़ उनको मिलती ही नहीं।”

(तफहीमातुल इलाहिया जि. 1, तफहीम, 69, स. 288, हैदरा बाद सिन्ध 1970)

रिश्ते दारी करना

राफज़ी (शीआ) के साथ रिश्तेदारी करने के बारे में एक सवाल और उस पर फाज़िल बरेलवी का जवाब, मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा 3 स. 111 पर यूँ ज़िक्र है :-

अर्ज़ : राफज़ी (शीआ) में शादी करना कैसा है ? आज कल अजीब क्रिस्सा है कोई राफज़ि किसी का मामू है और किसी का साला, कोई कुछ और कोई कुछ ?

इरशाद : नाजाईज है। ईमान वालों से हट गया है। अल्लाह और रसूल की मुहब्बत दिलों से जाती रही है। रब्बुलइज़त इरशाद फरमाते हैं :

“तुझे अगर शैतान भुला दे तो याद आने पर ज़ालिमों के साथ मत बैठ।” (अनआम 68)

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं : “उनसे दूर भागो, और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वह तुम्हें गुमराह न कर दें। कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें।”

खास राफज़ियों के बारे में एक हदीस है : “एक क्रोम आने वाली है। उनका एक बदलक़ब होगा। उन्हें राफज़ी कहा जाएगा। न जुमे में आएंगे न जमआत में। और सलफ को बुरा कहेंगे। तुम उनके पास न बैठना, न उनके साथ खाना पीना, न शादी ब्याह करना, बीमार पड़े तो पूछने न जाना, मर जाएँ तो जनाज़े पर न जाना।”

आगे लिखते हैं : “आज कल के राफज़ी तो अमूमन ज़रूरयाते दीन के मुन्कर और क़तअन मुरतद हैं उनके मर्द या औरत का किसी (सुन्नी मर्द या औरत) से निकाह हो सकता है ही नहीं। (मलफूज़ात आला हज़रत 3/111. बहवाला तालीमाते शाह अहमद रज़ा खॉ बरेलवी अज़ मौलाना मुहम्मद हनीफ यज़दानी स 50, 54)

माहे मुहर्रम की बाबत मौजू और जईफ हदीसों

आए माहे मुहर्रम की बाबत उन मौजू व जईफ हदीसों का तक्कीदी जायज़ा लिया जाए कि मुहददिसीने किराम ने उन हदीसों के सिलसिले में क्या कलाम किया है :

इमाम इब्ने जौज़ी रह. ने मौजू रिवायत का उन्वान कायम करके माहे मुहर्रम व यौमे आशूरा की बाबत मरवी बअज़ हदीसों ज़िक्र की हैं पहली हदीस उन्होंने यह ज़िक्र की है ।

1) सय्यदना अबूहुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : अल्लाह तआला बनी इस्राईल पर साल में एक दिन आशूरा का रोज़ा फर्ज किया है जो मुहर्रम का दसवाँ दिन है, पस तुम लोग भी उस दिन रोज़ा रखो, और अपने अहल व अयाल पर उस दिन खर्च में कुशादगी करो, इसलिए कि जो शख्स यौमे आशूरा को अपने अहल व अयाल पर कुशादगी करेगा अल्लाह तआला उस पर पूरे साल कुशादगी करेगा । तुम उस दिन रोज़ा रखो क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन अल्लाह तआला ने आदम अलै. की दुआ क़बूल की उसी दिन इदरीस अलै. को बुलंद मक़ाम पर उठाया । उसी दिन इब्राहीम अलै. को आग से बचाया उसी दिन नूह अलै. को कश्ती से उतारा है, उसी दिन मूसा अलै. पर तौरेत नाज़िल की है, उसी दिन इस्माईल अलै. को फिदया दे कर बचाया है, उसी दिन यूसुफ अलै. को क़ैद से निकाला है, उसी दिन याकूब अलै. की बीनाई लोटाई है, उसी दिन अय्यूब अलै. से बीमारी को दूर किया, उसी दिन यूनस अलै. को मछली के पेट से निकाला है, उसी दिन बनीइस्राईल के लिए समंदर फाड़ है, उसी दिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगले पीछले गुनाह माफ किए हैं, उसी दिन यूनस अलै. समंदर के पार उतारा है, उसी दिन क्रोमे यूनस अलै. को तोबा की तौफीक दी है, पस जिस शख्स ने उस दिन रोज़ा रखा तो उस दिन का रोज़ा उसके लिए चालीस साल के गुनाहों का कफ़फारा हो जाएगा । आशूरा के दिन ही दुनिया का पहला दिन है जिसे अल्लाह तआला ने दिनों में सबसे पहले पैदा किया है, और उसी दिन आसमान से सबसे पहले बारिश उतारी है, और उसी दिन सबसे पहले रहमत नाज़िल की है, तो जिसने आशूरा का रोज़ा रखा उसने गौया पूरा ज़माना रोज़ा रखा और यही आशूरा का दिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का रोज़ा है, और जिसने आशूरा की पूरी रात इबादत में गुज़ारी उसने गौया सातों आसमानों के इबादत गुज़ारों जैसी अल्लाह की इबादत की और जिसने उस दिन चार रकअत नमाज़ पढ़ी, हर रकअत में एक मर्तबा सूरह अलहमद और पचास मर्तबा कुलहुवल्लाहु अहद पढ़ा । अल्लाह तआला उसके पचास साल गुज़श्ता और पचास साल आईदा की खताएँ बख़्श देगा, और उसके लिए मला-ए-आला में एक करोड़ नूर के मेम्बर बनाएगा, और जिसने उस दिन मिरकीनों के किसी घराने को आसूदा कर दिया वह पुले सिरात भी बिजली की सी तेज़ी के साथ गुज़र जाएगा और जिसने उस दिन कोई सदका किया उसने गौया कभी भी किसी साईल को महरुम वापस नहीं किया, और जिसने उस दिन गुस्ल कर लिया वह मर्जुलमौत के सिवा किसी मर्ज़ में मुब्तिला न होगा, और जिसने उस दिन सुरमा लगाया उसको साल भर आँखों की बीमारी की शिकायत न होगी और जिसने उस दिन

के सर पर शफ़क़त का हाथ फेर दिया, उसने गौया बनी आदम के सारे यतीमों के साथ हुस्ने सलूक किया, और जिसने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा उसे दस हज़ार फरिशतों का एक हज़ार हाजियों और उमरा करने वालों का और एक हज़ार शहीदों का सवाब दिया जाएगा और सातों आसमानों भर का सवाब दिया जाएगा । आशूरा का दिन ही वह दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने आसमानों ज़मीनों पहाड़ों और समंदरों को पैदा किया, और उसी दिन अर्श और लौह व क़लम पैदा किया और जिब्रईल अलै. को भी उसी दिन पैदा किया, उसी दिन ईसा अलै. को आसमान पर उठाया गया, उसी दिन सुलेमान अलै. को हुकूमत अता की गई और उसी दिन क़यामत होगी जिसने उस दिन किसी मरीज़ की इयादत की उसने गौया बनी आदम के सारे मरीज़ों की इयादत की । सुबहानल्लाह !

पापौश में लगा दी किरन आफताब की

जो बात की खुदा की क़सम लजवाब की

जिस हदीस गढ़ने वाले और झूठे ने यह हदीस गढ़ी है हद कर दी हदीस गढ़ने वाला कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रिवायत को हदीस मन बेठेगा । इमाम जौज़ी रह. फरमाते हैं :-

“इस रिवायत के मौजू होने में किसी भी समझदार को शक नहीं हो सकता । गढ़ने वाले ने कमाल ही कर दिया कैसे कैसे गोशों से परदा उठाया है उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वह कितनी नामुम्किन बात कहे जा रहा है वह कहता है आशूरा का दिन वह पहला दिन है, जिस दिन अल्लाह ने दिनों में पहला दिन पैदा किया कितना बेवकूफ व बुद्ध है, उसका गढ़ने वाला वह दिन जिसका नाम ही आशूरा (यानी दसवाँ दिन) तखलीक़े अय्याम में वह पहला दिन कैसे क़रार पाया, जबकि उसका दसवाँ दिन होने के लिए नौ दिन का वजूद उससे पहले ज़रूरी है और वह कहता है आशूरा के दिन ही आसमान व ज़मीन व पहाड़ सब पैदा किए गये हालांकि सहीह रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने ज़मीन को सनीचर के दिन पहाड़ को इतवार के दिन (यानी दो अलग अलग दिनों में) पैदा किया है और इसी मौजू रिवायत में सवाब को जो बढ़ा चढ़ा कर ब्यान किया गया है वह किसी तरह कभी मुहासिने शरीअत से मेल नहीं खाता है कैसे सहीह क़रार दिया जा सकता है कि कोई आदमी एक दिन का रोज़ा रख ले तो उसे हज़ार हाजियों और उमरा करने वालों और शहीदों का सवाब दिया जाएगा यह ऊसूले शरअ के खिलाफ है ।” (किताबुल मौजूआत, 2/201)

अगर हम इस रिवायत पर एके के बाद दीगर तंक्कीद करें तो बात तवील हो जाएगी उसमें कोई शक नहीं कि यह मौजू रिवायत है मगर अजीब मसअला है कि यह मौजू रिवायत सिक़ा रिवायत की हदीसों में घुसेड़ दी गई । (यानी सनद में सिक़ा रिवायत करने वाले ज़िक्र कर दिए गये हैं)

हाफिज़ सुयूती रह. इस रिवायत को नक़ल करने के बाद फरमाते हैं :-

((رجاله ثقات و الظاهر ان بعض المتأخرين وضعه و ركيه على هذا الاسناد))

“इसके रावी सिक़ा हैं, लगता ऐसा है कि मुताख़िखरीन में से किसी ने यह हदीस गढ़ी है और

किसी यतीम उसमें सिक्रा रावीयों की यह सनद जोड़ दी है।'' (अललाइल मसनूआति फील अहदीसुल मौजूआति, स. 368)

इमाम इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह ने इस तबसिरह के बाद इस सनद के एक रावी पर आइम्मा जरह व तअदील का कुछ कलाम भी नक़ल किया है। इसके बाद एक दूसरी सनद से बरिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहुअन्हुमा यह हदीस ज़िक्र की है :

2) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आशूरा के दिन रोज़ा रखा उसके साठ साल के रोज़े व नमाज़ की इबादत लिखा दी जाएगी, और उसको दस हजार फरिशतों एक हजार हाजियों व उमरा करने वालों और दस हजार शहीदों का सवाब दिया जाएगा, और उसके नमाए आमाल में सातों आसमान भर का सवाब लिख दिया जाएगा, और जिसके पास आशूरा के दिन कोई मौमिन इफ्तार करेगा तो गौया उसके पास सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार किया, और जिसने उस दिन किसी भूके को खाना खिलाया उसने गौया आपकी उम्मत के तमाम फक़ीरों को खाना खिला दिया और आसूदा किया, और जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दिया तो यतीम के सर के हर बाल के एवज़ जन्नत में उसका एक एक दरजा बुलंद किया जाएगा, सय्यदना उमर रज़ियल्लाहुअन्हु ने फरमाया : ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरे के दिन के ज़रीए अल्लाह तआला ने हमें बड़ी फज़ीलत अता की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : बे शक अता की है। यही तो वह दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन पहाड़ उतारे लोहे व कलम जिब्रईल फरिशते आदम अलै. और इब्राहीम अलै. की औलाद को पैदा किया, इसी दिन उन्हें आतिशे नमरुद से सहीह सालिम निकाला, इसी दिन इस्माईल अलै. को फिदया दे कर बचाया, इसी दिन फ़िराऊन को डुबोया, इसी दिन इदरीस अलै. को उठाया है और इसी दिन उन्हें पैदा किया है, इसी दिन आदम अलै. की तौबा कबूल की, इसी दिन दाऊद अलै. की मग़्फ़रत की, इसी दिन सुलेमान को अलै. सल्लतनत दी, इसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, इसी दिन अल्लाह तआला अर्श पर जलवा फरमा हुआ, इसी दिन क़यामत क़ायम होगी।

इमाम इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :-

''यह हदीस बिला शुब्ह मौजू है इमाम अहमद ने फरमाया (इस हदीस का एक रावी) हबीब बिन ओबै झूठा रावी है इब्ने अदी ने कहा कि यह शख्स हदीस गढ़ा करता है। अबू हातिम ने कहा कि यह हदीस बातिल और बेबुनियाद है, हबीब मरव का बासिदा हदीसों गढ़ कर सिक्रा रावीयों पर चप्पा कर देता है, इसकी हदीसों नक़ल करना जाईज़ नहीं है, मगर यह कि बतौर तकीद नक़ल की जाएँ।'' (किताबुल मौजूआत 2/203)

हाफ़िज़ सुयूती ने भी अललाइल मसनूआति में इसे नक़ल किया है, और इसी हबीब को इस मौजू रिवायत का सबब क़रार दिया है। (अललाइल मसनूआत स. 367)

फिर मौजू रिवायत के तहत इमाम इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह ने तीसरी यह हदीस नक़ल की है।

3) अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहुअन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने अहल पर आशूरा के दिन कुशदगी करेगा।

इमाम इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :-

''अक़ील ने कहा कि इस हदीस का रावी हैसम मजहूल है और हदीस ग़ैर महफूज़ है इब्ने हिब्वान ने कहा कि इस शख्स की रिवायत से एहतज़ाज़ जाईज़ नहीं है, इस हदीस को सुलेमान बिन अबी अब्दुल्लाह ने भी अबू हु़रैरा रज़ियल्लाहुअन्हु से रिवायत किया है, अक़ील ने कहा कि सुलेमान मजहूल है और हदीस ग़ैर महफूज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी मुसनद रिवायत में यह क़ौल साबित नहीं।'' (किताबुल मौजूआत, 2/203)

यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू हु़रैरा रज़ियल्लाहुअन्हुमा के अलावा सईद और जाबिर रज़ियल्लाहुअन्हुमा से भी रिवायत की गई है और उसे बहुत से मुहदसीन ने अपनी तसनिफात में नक़ल किया है, चुनांचे इस हदीस को रिज़्ज़ीन ने अपने जामे में, बैहकी ने शोअबुल ईमान में, तबरानी ने अलकबीर में, इब्ने अदी ने अपनी मुसनद में, इब्ने अब्दुलबर ने अलइस्तज़कार में, और बअज़ दूसरे मुहदसीन ने अपनी बअज़ तसनिफात में ज़िक्र किया है। सुयूती ने अललाइल मसनूआत में इस रिवायत को कई सनद से ज़िक्र करके इसे सहीह साबित करने की कोशिश की है और अबू फज़ल इब्ने नासिर ने इसके बाज़ तुर्क को सहीह कहा है, इमाम बैहकी व हाफ़िज़ सखावी का मिलान भी जाबिर बिन अब्दुलबर वाली हदीस की सहीह की तरफ है और अल्लमा ओबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपूरी साहेबे मिरआतुल मफातीह के नज़दीक भी बैहकी का रुज़हान मुअतमद है। सुफ़ियान सूरी ने फरमाया हमने इसका तर्जवा किया तो इसको ऐसा ही पाया जाबिर अबू जुबैर और शुअबा से भी यही मन्कूल है। (मिरआतुल मफातीह, 3/175)

इस दौर के मुहददिस अल्लामा नासिरउददीन अलबानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :-

((وهو حديث ضعيف من جميع طرقه وحكم عليه شيخ الاسلام ابن تيميه بالوضع فما بعد و

الشرعية ولا تثبت بالتجربة))

''यह हदीस सभी तरीक़ों से ज़ईफ़ है शैखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसे मौजू कहा है और इसका मौजू होने में कोई शक़ नहीं, रहा फलों फलों का तज़रबा सो यह शरीअत में हुज़त नहीं।'' (तअलीक़ मिशकात, 1/601)

ऊपर गुज़रा कि इमाम इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह ने इसे मौजू रिवायत में शुमार किया है और इमाम अबू जाफ़र अक़ील ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी मुस्तनद रिवायत में यह क़ौल साबित नहीं, आठवीं सदी के मुहददिस व फक़ीह हाफ़िज़ इब्ने रजब ''लताइफ़ुल मआरिफ़'' में फरमाते हैं :-

((وقد روى من وجوه متعددة لا يصح فيها شيء))

“यह कई सनदों से रिवायत की गई है मगर कोई भी रिवायत इस बारे में सही नहीं है।”
मिन्हाजुससुन्नह (2/248) व फतावा शैखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (2/254) में इस हदीस के बारे में इमाम अहमद से मकुल है : “لا اصل له فلم يره شيئا” इस रिवायत की कोई अस्ल नहीं। इमाम अहमद ने इस रिवायत को कुछ नहीं समझा। हाफिज़ ज़हबी, इब्ने वज़्ज़ाह और साहबे सफ़रुस सआदह के रवेय्ये से पता चलता है कि उनके नज़दीक यह हदीस साबित नहीं है।

शैखुलइस्लाम इब्ने तैमिया रह, एक मौक़े पर आशूरा के बारे में झुठी रिवायत का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं :

((توسيع النفاذ فيه هو من البدع المحدثه للرافضة وقد وضعت في ذلك احاديث مكنوبة في فضائل ما يصنع فيه و صححها البعض كابن الناصر وغيره ولكن ليس فيها ما يصح لكن رويت لانا اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا انها كذب))

“आशूरा के दिन नफ़्का (बाल बच्चों पर खर्च) में कुशादगी करना बिदअत में से है जो राफ़ज़ि के बिलमुक़ाबिल राईज की गई हैं, और इन बिदआत के फज़ाईल में बहुत सी झुठी रिवायते गढ़ ली गई हैं, और इब्ने नासिर वगैरा बाज़ हज़रात ने इसको सहीह करार दिया है हालांकि इस बाब में कोई भी सहीह रिवायत नहीं है। कुछ लोगों ने लाइल्मी में इसको सहीह समझ कर इस पर अमल किया है।” (इक़्तिज़ाए सिरातिल मुस्तक़ीम स. 301)

अल्लामा मुहददिस अताउल्लाह हनीफ भोजयानी तहरीर फरमाते हैं :

“यह रिवायत हरगिज़ पाया-ए-सबूत को नहीं पहुँचती हाफिज़ सुयूती ने इस की दो चार सनदें ज़िक्र की हैं उन सब में ऐसे मजरूह रावी हैं, जिनकी वजह से कसरत तुरुक़ के बावजूद यह रिवायत दर्जा-ए-एतबार से साफ़ित है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद वाली सनद में दो रावी निहायत कमज़ोर हैं और अबूहुरैरा वाली एक सनद में हैसम बिन सददाख़ बहुत ही ज़ईफ़ है और दूसरी में सुलैमान है, जो मजहूल हैं और जाबिर वाली सनद में दो रावी हैं, जिनको मुहददिसन वज़ाअ (झुठी हदीसें गढ़ने वाला) कहा है।”

एक सनद के मुताबिक़ हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

“यह सख़्त मुन्कर है इसमें खारजी रावी है और अबू सईद वाली सनद में मजहूल रावी हैं, और दो रावी मतरुक़ हैं, इस हदीस की बअज़ सनदों में खारजी रावी हैं, और ज़यादा तर कूफी व बसरी हैं जहाँ खुरुज व नसब (अदावत अली व हुसैन) की वबा फैली हुई थी हुब्बे अहले बैत ने अगर उस दिन मातम की चीज़ पैदा कर ली तो दुश्मानाने अहले बैत ने उनके मुकाबले मुसरत (खूशी) के काम उस दिन के लिए गढ़ लिए।”

शैखुलइस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

“क़त्ले हुसैन के सबब शैतान ने दो बिदअतें पैदा कर दीं एक तो हुब्बे हुसैन राफ़ज़ियों के ज़रिये जिन्होंने उस दिन को यौमे मातम बन लिया। दूसरी बिदअत दुश्मानाने अली व हुसैन

रज़ि. (खारजियों) के ज़रिये जिन्होंने इस दिन के लिए मुसरत के बहुत से अमल बना लिए और उन्होंने ये हदीस गढ़ी की जो शख्स यौमे आशूरा को अहल व अयाल पर कुशादगी करेगा अल्लाह तआला उस पर पूरे साल कुशादगी करेगा वगैरा वगैरा।” (मिन्हाजुससुन्नह 2/248)

इस किस्म की रिवायत गढ़ लेना अहले बिदअत का आम शैवा था। बसाआवक्रात अहले हक़ रावी भी अपनी नादानिस्तगी के सबब ऐसी रिवायतें सुन कर ब्यान करने लगते थे, जैसे कि इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने “मिन्हाजुससुन्नह व फतावा व इक़्तिज़ाए सिरातिल मुस्तक़ीम” में और हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने “तहज़ीबुत तहज़ीब” और “लिसानुल मीज़ान” में इसकी तसरीह फरमाई है। नीज़ इन मजहूल रावियों और ज़ईफ़ सनदों के सिवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक और सहाबा ताबईन तबाताबईन व आइम्मा के ज़मानों में इस तौसीय नफ़्का का कहीं सबूत नहीं मिलता, इसके बरअक्स इमाम मुहम्मद बिन वज़्ज़ाह इमाम यह्या बिन यह्या वफात 234 हि. से नक़ल किया है।

“मैं इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के ज़माने में मदीना मुनव्वरा और इमाम लैस व इब्नुल कासिम के ज़माने में मिस्र में मौजूद था और यह दिन (यौमे आशूरा) वहाँ आया था, मगर किसी से मैंने इस तौसीय नफ़्का (अहल व अयाल पर खर्च) का ज़िक्र तक नहीं सुना अगर उनके यहाँ कोई ऐसी रिवायत होती तो बाक़ी हदीसों की तरह इसका भी वह ज़िक्र करते।” (अलबिदउल मन्ही अन्हा, स. 45)

इमाम वज़्ज़ाह और इमाम यह्या बिन यह्या तीसरी सदी के बुलंद पाया मुहदिदस हैं, उनके इस कलाम से मालूम होता है कि उनके नज़दीक यह अमल जिसका था बिला सबूत था, इससे यह भी साबित होता है कि सलफ़ का ज़माना दूसरी बिदआत के साथ तौसीय नफ़्का से खाली था।

शैखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

((هذا من البدو المنكرة التي لم يستنها رسول الله ﷺ ولا خلفاء الراشدون ولا استحجها احد من ائمة المسلمين لا مالك ولا احمد بن حنبل ولا الشافعي ولا اسحاق بن راهويه ولا امثال هؤلاء من ائمة المسلمين))

“... (इसका कोई भी साबित नहीं है) ...”

“10 मुहर्रम को खालिस खाना पकाना तौसिय करना वगैरा मिनजुम्ला उन बिदआत व मुन्किरात में से है जो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं न खुलफा ए राशिदीन से और न आइम्मा-ए-मुस्लिमीन से किसी ने इसको मुस्तहब समझा है।” (फतावा इब्ने तैमिया 2/354)

नीज़ आगे फरमाते हैं :

“यौमे आशूरा को शीओं ने मातम वगैरा की बिदअत निकाली और फिरका नाजियों ने सुरमा लगाना गुस्ल करना अयाल (खानदान) पर कुशादगी करना वगैरा मशरू करार दिया, यह एक बिदअत है जो दुश्मानाने हुसैन रज़ि. ने निकाली है और वह एक बिदअत है, जिसे

मुहिब्बाने हुसैन ने निकाली और जो बिदअत भी हो वह गुमराही है। आइम्मा-ए-अरबा (चारों इमाम) और उनके आइम्मा-ए-इस्लाम ने न उसको पसंद किया है न उसको और इन दोनों बिदअतों में से किसी के लिए भी कोई दलील शरई मौजूद नहीं है, जम्हूर उलमा के नजदीक यौमे आशूरा को सिर्फ रोज़ा रखना मुस्तहब है, और यह भी मुस्तहब है कि उसके साथ नौ तारीख को भी रोज़ा रखा जाए।" (मिन्हाजुस्सुन्नह 2/248)

हाफिज़ हैसमी ने मजमाउज़्जवाइद 3/188 में "باب فی صیام عاشوراء" (बाब फी सयामे आशूरा) के तहत यह रिवायत नक़ल की है कि :

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा के दिन कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर रुक गई और सब नीचे उतर आए और बतौर शुक्रे इलाही नूह अलैहिस्सलाम और जुम्ला मौमिनीन और कश्ती पर सवार तमाम चरिदे व परिदे ने उस दिन रोज़ा रखा। यही यौमे आशूरा है जिस दिन अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल के लिए समंदर फाड़ा और आदम की तौबा कबूल की और इसी मुबारक दिन में क्रोमे यूनूस की भी तौबा कबूल हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी मुबारक दिन में पैदा हुए।"

हाफिज़ हैसमी इस रिवायत को नक़ल करने के बाद फरमाते हैं इस हदीस को तबरानी ने मोअज्जमुल कबीर में रिवायत किया है इसका एक रावी अब्दुलगफूर है जो मतरुक है, और मतरुक रावी की रिवायत मरदूद रिवायत के खाने में आती है यह रिवायत इस लायक नहीं की इसे कबूल किया जाए।

आशूरा के दिन को जूदी पहाड़ पर कश्ती-ए-नूह ठहरने और नूह अलैहिस्सलाम के उस दिन रोज़ा रखने का ज़िक्र मुसनद अहमद 2/359 में भी है, मगर यह हदीस भी सहीह नहीं है। इस हदीस के एक रावी अब्दुस्समद को इमाम अहमद ने ज़ईफ कहा है और अब्दुस्समद को अपने बाप हबीब बिन अब्दुल्लाह अल अज़दी से रिवायत किया है और इसको अबू हातिम ने मजहूल कहा है। (तहज़ीबुत तहज़ीब बहवाला मुहर्रमुल हराम व मसअला हजरत हुसैन व यज़ीद तालीफ मौलाना अब्दुस्सलाम रहमानी, मक्तबा तर्जुमान देहली 1977 ईस्वी)

यह तो थी वह मशहूर रिवायत जो फज़ाईले आमाल मुहर्रम व आशूरा के दिन के बारे में हदीसों की किताबों में मिलती है, इसके अलावा भी बहुत सी रिवायत हैं जो हम तविलात के सबब इसी पर इक्तिफा करते हैं।